नगर पालिका निर्वाचन

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण

(रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका)

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

भोपाल

(अप्रैल 2019)

नगर पालिका निर्वाचन

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण

(रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका)

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

भोपाल

(अप्रैल 2019)

प्रस्तावना

1. प्रत्येक ऐसे वयस्क नागरिक को जो स्थानीय निकायों के चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहता है, सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है. संविधान के अनुच्छेद 243यक में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है।
2. सही एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए त्रुटिरहित मतदाता सूची परम आवश्यक है. कानून के अंतर्गत जिन लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त है उन सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो और साथ ही ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम सूची में सम्मिलित न हो, जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
3. त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण निर्वाचक नामावली चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाली अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों का प्रमुख कारण बनती है। अतः निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए निर्वाचक नामावली त्रुटिहीन होना अत्यंत आवश्यक है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने, अधिकाधिक लोगों को चुनाव में भाग लेने तथा चुनाव के दौरान अनियमितताओं को खत्म करने के लिये निर्वाचक नामावली को अद्यतन बनाना तथा पुनरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किये जा रहे हैं।
4. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित उनके महत्वपूर्ण दायित्वों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस पुस्तिका को प्रकाशित किया गया था। वर्ष–2016 के बाद (01/01/2016) मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण प्रक्रिया में हुये महत्वपूर्ण संशोधनों को इस मार्गदर्शिका में शामिल किया गया है। वर्ष 2018 से ERMS एप्लीकेशन की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव किये गये है। उक्त बदलाव का भी समावेश मार्गदर्शिका में किया गया है।
5. आयोग द्वारा इस बात का प्रयास किया गया है कि इन निर्देशों में सभी आवश्यक तथ्य सम्मिलित हो जायें जिसकी जानकारी मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में संलग्न विभिन्न स्तर के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जरूरी है, तथापि सुसंगत निर्वाचन विधि तथा नियमों को भी साथ में देख लिया जाना आवश्यक है।

बसंत प्रताप सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश.

विषय–सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान	1–4
2.	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये अर्हता और निरर्हता	5–6
3.	मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण प्रक्रिया	7–8
4.	कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण	9–11
5.	विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर नगरपालिका की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना	12–17
6.	प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना	18–23
7.	मतदाता सूची के निरीक्षण की व्यवस्था और उसका प्रकाशन	24–28
8.	दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना	29–36
9.	कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही करना	37–41
10.	दावों और आपत्तियों में जांच और उनका निपटारा	42–44
11.	अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उनका प्रकाशन	45–47
12.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील	48
13.	विविध	49

परिशिष्ट

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
एक	मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) में नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में मतदाताओं की अर्हता/निरर्हता संबंधी कानूनी प्रावधान तथा ''मामूली तौर पर निवासी'' का अर्थ	50–55
दो	मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित, ''मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994'' का उद्धरण	56–60
तीन	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी	61
चार	प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप	62–63
पांच	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति	64

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
छः	मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना	65
सात (ER-1)	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिय दावा–आवेदन	66–67
आठ (ER-2)	मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति	68–69
नौ (ER-3)	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति	70–71
दस	दावे, आपत्तियों का दैनिक विवरण	72
ग्यारह	मतदाता सूची से नाम हटाया जाना	73
बारह	मतदाता सूची में नाम शामिल करना	74
तेरह	दावे और आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर	75
चौदह	आक्षेपित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना का प्ररूप	76–77
पन्द्रह	अनुपूरक मतदाता सूची	78
सोलह	मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना	79
सत्रह (ER-4)	रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील	80–81
अठारह	अपील प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाने वाली सूचना का प्ररूप	82
उन्नीस	प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण–पत्र	83
बीस	अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण–पत्र	84
	परिपत्र	
1.	दावा आपत्ति केन्द्र पर बैनर लगाने के निर्देश (दिनांक 23.08.2004)	85–87
2.	मतदाता सूची एजेन्टों की नियुक्ति के संबंध में निर्देश (दिनांक 27.08.2009)	88–89
3.	डुप्लीकेट सूची के संबंध में कार्यवाही के निर्देश (दिनांक 19.10.2015)	90–92
	प्ररूप	
1	मतदाता सूची एजेन्ट नियुक्ति हेतु	93
2	मतदाता सूची एजेन्ट नियुक्ति किये जाने की जानकारी हेतु प्रपत्र	94
3	मृत मतदाताओं की जानकारी बाबत्	95
4	मतदाताओं के अन्यत्र चले जाने की जानकारी बाबत्	96
	सेम्पल	
1	सेम्पल–1 से लेकर सेम्पल–6(3) तक	97–103

अध्याय–1

मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान

1. प्रशासनिक तंत्र :

1.1 मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 2 (ग) में, प्रत्येक जिले में नगरपालिकाओं की मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचनों का संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, कलेक्टर को पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के रूप में नियुक्त किया गया है।

1.2 आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है। उसके नियंत्रण और सर्वोपरि भूमिका के अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका की मतदाता सूची, वार्डवार तैयार करने, उसे प्रकाशित करने, उसके संबंध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने और उनका निपटारा करके सूची को अंतिम रूप देने का दायित्व, ऐसे नगरपालिका के लिए नियुक्त किए गए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का है।

1.3 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–2 (ट) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए प्रत्येक नगरपालिका में, वार्डों की संख्या के अनुसार, एक या अधिक, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी नियुक्त किये जाते हैं। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की समस्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है। विभिन्न स्तर के राजस्व अधिकरियों को ही सामान्यतया रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण नियुक्त किया जाता है।

1.4 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में संबंधित नगरपालिका का संपूर्ण क्षेत्र रहता है और वह सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन देने तथा उनके कार्य के पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य निम्नांकित हैं:–

1. फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करना और उसके प्रारंभिक प्रकाशन के लिए आवश्यक प्रचार–प्रसार करना।
2. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देना और उनके कार्य पर्यवेक्षण करना।

3. मतदाता सूची का आम नागरिकों द्वारा निरीक्षण करने तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के उपयुक्त स्थानों (केन्द्रों) का निर्धारण करना और वहां पर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था करना।
4. निर्धारित केन्द्रों (स्थानों) पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों का चयन करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उन्हें आवश्यक प्ररूप (फार्म) तथा सामग्री उपलब्ध कराना।
5. कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करना।
6. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट करना।
7. शिफ्टिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में बढ़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची में संबंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करना।
8. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची के संबंधित नगरपालिका एवं वार्ड से हटाना।
9. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची में यथासंशोधित करना।
10. शिफ्टिंग संबंधी विवादों का निराकरण।
11. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना।
12. फोटोरहित जनरेट प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।
13. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।
14. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जनजागरूकता हेतु जिला एवं नगरपालिका स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।
15. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र ERMS पर अपलोड करना।
16. जाँच सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में गहन स्थानीय जाँच कराना और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित करना। मृत मतदाता और शिफ्टेड मतदाताओं के संबंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही करना।

17. मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची (डुप्लिकेट सूची) के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही करना।
18. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों की एन्ट्री के लिये आवश्यक व्यवस्था करना।
19. दावे आपत्ति आवेदन पत्रों पर बारकोड स्टीकर चस्पा करना।
20. दावे आपत्ति आवेदन पत्रों का समयसीमा में निराकरण करना।
21. दावे आपत्ति के निराकरण आपत्ति अनूपूरक सूची तैयार कर अंतिम मतदाता सूची जनरेट करना।
22. फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची डिजीटल हस्ताक्षर से वेबसाईट पर अपलोड करना।
23. फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रिन्ट निकालकर विहित स्थानों पर प्रकाशन करना।
24. अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन संबंधी प्रमाणपत्र वेबसाईट पर अपलोड करना।
25. वार्ड का नजरी नक्शा तैयार करना।
26. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का सशुल्क निरीक्षण करने या उसके किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने तथा सूची के विक्रय की व्यवस्था करना।
27. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची, सभी कागज–पत्रों सहित (जिसमें प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावों और आपत्तियों से संबंधित प्रकरण और उनमें पारित आदेश इत्यादि सम्मिलित हैं) जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना।

1.5 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपील प्राधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी को अपील कर सकता है। अपील प्राधिकारी की नियुक्ति मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 2(ख) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है।

1.6 **कानूनी प्रावधान :**

(1) **अधिनियम–**मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मतदाताओं की अर्हता या निरर्हता तथा मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) में नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में जो प्रावधान हैं, उनका उद्धरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

(2) **नियम**–उपरोक्त दोनों अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गये "निर्वाचन नियम" साझे स्वरूप से (Common) हैं तथा "मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994" कहलाते हैं। इन नियमों के अंतर्गत मतदाता सूची तैयार करने से प्रावधान **परिशिष्ट–दो** पर उद्धत हैं।

1.7 पदाभिहित अधिकारी :

राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिन अधिकारियों को विभिन्न स्तरों की नगरपालिकाओं के लिए नियम 2(ट) के अंतर्गत, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नियम 2(ख) के अंतर्गत अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है, उनका विवरण **परिशिष्ट–तीन** पर है।

*****

अध्याय—2

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये अर्हता और निरर्हता

2.1 प्रत्येक नगरपालिका के लिए मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाएगी।

2.2 मतदाता सूची तैयार करने के लिये अर्हकारी तारीख (Qualifying date) उस वर्ष की पहली जनवरी होगी, जिस वर्ष में उसे तैयार किया जाए।

2.3 **मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अर्हता—**कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिए हकदार होगा, यदि वह—

(क) अर्हकारी तारीख को (अर्थात उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,

(ख) उस नगरपालिका के क्षेत्र का मामूली तौर से निवास (सामान्यतः निवासी) है, और

(ग) विधानसभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त वार्ड से संबंधित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित हैं।

2.4 **मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये निरर्हता—**कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हत) होगा यदि वह—

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) पागल (विकृत चित्त का) है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है; या

(ग) प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध—दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष—सिद्धि के समय पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या

(घ) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है।

(ङ) जो फिलहाल चुनाव के संबंध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत मतदान करने के लिये अयोग्य है।

2.5 किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, नाम उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगाः

परंतु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है, उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो।

*****

अध्याय–3

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण प्रक्रिया

3.1 मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–14, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–8 के प्रावधानों के अनुक्रम में पहली जनवरी की स्थिति में नगरपालिकाओं की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना है।

3.2 विगत के वार्षिक पुनरीक्षण में कतिपय जिलों में मतदाता सूची तैयार करने में कुछ मानवीय और तकनीकी त्रुटियाँ हुई थी। त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और ऑनलाईन एप्लिकेशन ERMS (Electoral Roll Management System) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किये है :–

- परिसीमन सम्बंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। कंट्रोल टेबल में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से मान्य किया जायेगा। संशोधित कंट्रोल टेबल के अनुसार आधार पत्रक तैयार कर, मार्किंग कर मतदाताओं की शिफ्टिंग करना भी अनिवार्य किया गया है।
- विधानसभा की मतदाता सूची के नामों के छूटने की त्रुटि के निराकरण के लिए शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची, संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत् प्रतिशत मार्किंग का प्रावधान किया गया है। शत् प्रतिशत मार्किंग नहीं होने पर प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं हो सकेगी।
- प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित प्रारूप मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है एवं प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन सम्बंधी प्रमाणपत्र को स्केन कर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।
- डिजिटल हस्ताक्षर से दावे आपित्तयों के निराकरण हेतु समयसीमा बढ़ाई जा रही है। समय की कमी के कारण विगत वर्षों में कुछ रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियम विरूद्ध डी.एस.सी. डोंगल, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को सौंप दिये जाने के मामलें प्रकाश में आये है।
- अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है एवं अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन सम्बंधी प्रमाणपत्र को स्केन कर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।

- मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए डेशबोर्ड तैयार किया गया है। कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डेशबोर्ड से रियल टाईम पर पुनरीक्षण सम्बंधी की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की जा सकेगी।

3.3 फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, म.प्र. को राज्य स्तरीय एजेंसी (एस.एल.ए.) नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। SLA द्वारा आपके जिले के लिए वेण्डर नियुक्त किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की समीक्षा कर लें और पर्याप्त समय पूर्व यथाआवश्यक सुधार भी कर लें।

3.4 समस्त नगरपालिकाओं की पहली जनवरी की स्थिति में वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है। फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया 03 चरणों में सम्पन्न की जायेगी।

- **प्रथम चरण** – कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही।
- **द्वितीय चरण** – विधानसभा की मतदाता सूची में बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित नगरपालिका वार्ड में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण उपरांत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
- **तृतीय चरण** में दावे आपत्ति प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जाकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

*****

अध्याय–4

कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण

4.1 वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट **(सेम्पल–1)** प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में नगरपालिका, वार्ड और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।

4.2 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।

4.3 यदि पंचायतों और नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है तो संशोधन अनुसार आधार पत्रक तैयार कर मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदानुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही की जाये।

4.4 विगत पुनरीक्षण में यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतों के नगरपालिका में शामिल होने के उपरांत भी सम्बंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त पंचायतों की कंट्रोल टेबल को अपडेट नहीं किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को कंट्रोल टेबल को अपडेट कर आवश्यकतानुसार मतदाताओं को डिलीट करने अथवा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) से शिफ्ट (Import) कराने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) से समन्वय करते हुए उचित कार्यवाही इस प्रकार किया जाना सुनिश्चित करें कि न तो मतदाताओं की डुप्लिकेट शिफ्टिंग हो और न ही कुछ मतदाता शिफ्टिंग के स्थान पर डिलीट हो जायें।

4.5 कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जेनरेट की जाये। यदि कंट्रोल टेबल के अपडेशन के पूर्व उक्त सूचियाँ जेनरेट की जायेंगी तो सूचियों में त्रुटियों की सम्भावना रह सकती है।

4.6 प्रदेश में पंचायतों के लिए 600 मतदाताओं का और नगरपालिकाओं के लिए 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र बनाये जाने के निर्देश आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये है, लेकिन समीक्षा में यह पाया गया है कि पंचायतों में लगभग 25 प्रतिशत और नगरपालिकाओं में लगभग 25 प्रतिशत तक मतदान केन्द्र निर्धारित सीमा से अधिक बनाये गये है। सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर एक मतदान केन्द्र को तोडकर दूसरा मतदान केन्द्र बनाया गया है। इस प्रक्रिया में एक के बाद एक मतदान केन्द्र बढ़ते चले गये है, लेकिन मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण का ध्यान नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 1200 हुई तो उसे 800 और 400

मतदाताओं के दो मतदान केन्द्र में विभाजित कर दिया गया है। भविष्य में 800 वाले मतदान केन्द्र के मतदाता यदि फिर बढ़कर 1200 हो गये तो उसे पुनः 02 भागों मे विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार 1600 मतदाताओं के लिए 03 मतदान केन्द्र बना दिये गये है, जबकि युक्तियुक्तकरण करने से 02 मतदान केन्द्रों में भी काम चल सकता था। मतदान केन्द्रों की अधिकता से न केवल चुनाव संबंधी प्रक्रियाएँ बढ़ती है, बल्कि निर्वाचन व्यय भी बढ़ता है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अब मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया गया है।

4.7 मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने का आशय यह नहीं है कि मतदान केन्द्रों की संख्या बेवजह कम की जाये। प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक नगरपालिका वार्ड के लिए न्यूनतम 01 मतदान केन्द्र स्थापित होना अनिवार्य है। इसी प्रकार 02 कि.मी. की भौगोलिक परिधि में भी मतदाता को मतदान केन्द्र उपलब्ध कराया जाना अभी आवश्यक रहेगा।

4.8 आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के प्रायोजन से प्रथम चरण की प्रक्रिया कंट्रोल टेबल के वेरिफिकेशन और अपडेशन में कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट में अब मतदान केन्द्र के साथ–साथ उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाताओं की संख्या भी प्रदर्शित होगी। कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट निकालकर मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के संबंध में परीक्षण हेतु पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और नगरपालिका के लिए आयुक्त नगरपालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपी जाये।

4.9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगरपालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी मतदान केन्द्रों के संबंध में कंट्रोल टेबल का परीक्षण करेंगे और निम्नलिखित बिन्दुओं पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगेः–

- मतदाताओं की संख्याओं को युक्तियुक्त करते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या में कमी किये जाने संबंधी प्रस्ताव।
- वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों के भवनों में युक्तियुक्त परिवर्तन के प्रस्ताव।
- मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक सीमा का ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्री करने का प्रस्ताव।

4.10 मतदान केन्द्रों की संख्या के संबंध में परीक्षण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जायेः–

- प्रत्येक पंचायत के लिए न्यूनतम एक मतदान केन्द्र ।
- प्रत्येक नगरपालिका वार्ड के लिए न्यूनतम एक मतदान केन्द्र।
- पंचायतों के लिए यथासम्भव 600 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र, लेकिन मतदान केन्द्र में बढ़ोत्री मतदाता की संख्या 750 से अधिक होने पर ही की जाये।

- नगरपालिका के लिए यथासंभव 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र, लेकिन मतदान केन्द्र में बढ़ोत्री मतदाता की संख्या 1200 से अधिक होने पर ही की जाये।
- नगरपालिका और पंचायत दोनों में 02 कि.मी. की भौगोलिक सीमा में एक मतदान केन्द्र अवश्य बनाया जाये।
- नदी—नाले, पहाड़ी आदि प्राकृतिक विषमताओं के साथ—साथ सामाजिक विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए भी मतदान केन्द्र स्थापित किये जायें।

4.11 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त प्रस्तावों के आधार पर परीक्षण उपरांत मतदान केन्द्रों के परिवर्तन के संबंध में यथोचित निर्णय लेंगे और तदानुसार कंट्रोल टेबल में मतदान केन्द्रों के संबंध में अपडेशन करेंगे।

4.12 मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कार्पोरेशन द्वारा मतदान केन्द्रों की कमी अथवा बढ़ोत्री की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए एक डेशबोर्ड तैयार किया जायेगा, जो आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा।

4.13 कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से किया जायेगा।

*****

अध्याय–5

विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर नगरपालिका की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना

5.1 इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :–

I. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जेनरेट करना.

II. शिफ्टिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में बढ़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची में सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करना.

III. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची के सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड से हटाना.

IV. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची में यथासंशोधित करना.

V. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना।

VI. फोटोरहित जेनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।

VII. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।

VIII. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जनजागरूकता हेतु जिला एवं नगरपालिका स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।

IX. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र ERMS पर अपलोड करना।

5.2 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन) द्वारा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को, विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की 02 प्रतियाँ निःशुल्क प्रदाय की जाती है। उक्त प्रतियाँ यथा समय निःशुल्क प्राप्त कर ली जाये। उक्त निःशुल्क प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति नगरपालिका निर्वाचन के मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाई जायेगी।

नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना

5.3 वेण्डर द्वारा शिफ्टिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका

वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) **(सेम्पल–2)** प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।

5.4 शिफ्टिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर की मार्किंग करने के लिए रिक्त ख़ाने बने हुए है।

5.5 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग सूची के ख़ाने में नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर दर्ज करेगा।

5.6 शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

5.7 शिफ्टिंग सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी।

5.8 शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित ख़ाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिफ्टिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन

5.9 वेण्डर द्वारा विलोपन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) **(सेम्पल–3)** प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

5.10 विलोपन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

5.11 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्कतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान

नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

5.12 इसका आशय यह है कि विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में नगरपालिका की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और नगरपालिका की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।

5.13 **यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से नगरपालिका की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरिफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।**

5.14 विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

5.15 विलोपन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।

5.16 विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन

5.17 वेण्डर द्वारा संशोधन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) **(सेम्पल–4)** प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

5.18 संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

5.19 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्कतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से नहीं होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

5.20 संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

5.21 संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।

5.22 संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

5.23 शिफ्टिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जेनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिफ्टिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरपालिका में शिफ्ट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।

5.24 यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5.25 यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन आदि नगरपालिक निगम क्षेत्रों में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते है। इन क्षेत्रों में भी शिफ्टिंग के विवाद सम्बंधी मामलों का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5.26 विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिफ्ट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिफ्ट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

5.27 कुछ विधानसभा क्षेत्र दो–दो जिलों में भी स्थित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–78 और 82 सीधी–सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–167 आगरमालवा–शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–193 झाबुआ–अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–23 शिवपुरी–दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिफ्टिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना

5.28 शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग के लिए प्रति वार्ड न्यूनतम एक प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक वार्ड में एक से अधिक प्राधिकृत कर्मचारी भी नियुक्त किये जा सकते है।

5.29 शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की प्रविष्टि ERMS में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटोयुक्त और फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट की जायेगी। यदि शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग से एक भी मतदाता छूट जायेगा तो ERMS प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं करेगा।

5.30 शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की जानकारी ERMS में सही सही किये जाने की चैकिंग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सावधानीपूर्वक चैकलिस्ट से कर लेना चाहिए। वेण्डर द्वारा प्रविष्टि में की गई त्रुटि को नज़रअंदाज़ करने से मतदाता सूची दूषित हो सकती है।

5.31 ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से उसकी फोटोरहित प्रति को वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। डिजिटली साईन्ड प्रारूप मतदाता सूची वेबसाईट पर अपलोड होने की स्थिति में ही यह माना जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट कर ली गई है। चूंकि यह कार्य निर्धारित समय पर होना है, अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने और उसे वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण सचेत रहकर नियत समय पर करना होगी।

5.32 फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट कर मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–4(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **परिशिष्ट–उन्नीस** में निर्धारित प्ररूप में प्रमाणपत्र तैयार कर ERMS में स्केन कर अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

5.33 प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के तत्काल उपरांत स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तर पर कलेक्टर और नगरपालिका स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला मुख्यालय की नगरपालिका के सदस्यों और अन्य नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी बुलाया जाये। नगरपालिका स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में राजनैतिक दलों के नगरपालिका स्तर के प्रतिनिधियों के साथ साथ नगरपालिका के सदस्यों को भी बुलाया जाये। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची आदि सहित दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जाये।

*****

अध्याय–6

प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

6.1 दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदनपत्रों के प्ररूप में परिवर्तन कर नये प्ररूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) और ER-4 (अपील) जारी किये है। उक्त सभी आवेदनपत्रों की एक समेकित बुकलेट मय मार्गदर्शिका तैयार की गई है, उक्त बुकलेट प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.2 प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के तत्काल उपरांत वेण्डर द्वारा **जाँच सूची (सेम्पल–5)** प्रदाय की जायेगी। **जाँच सूची** ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम नगरपालिका की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी, जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्रारूप मतदाता सूची के साथ–साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके।

6.3 **जाँच सूची** में शामिल मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व ही करा ली जाये और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित किये जायें। मृत मतदाता और शिफ्टेड मतदाताओं के सम्बंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाये।

6.4 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वेण्डर से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट होने के तत्काल बाद **डुप्लिकेट सूची (सेम्पल–6)** प्राप्त कर लेना चाहिए। **डुप्लिकेट सूची** में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है। यह सूची 3 भागों में होगीः–

i. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही नगरीय निकाय में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।

ii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक नगरीय निकाय में दर्ज है।

iii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।

6.5 मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52–4/2015/तीन/नपा/745, दिनांक 19.10.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची **(डुप्लिकेट सूची)** के सम्बंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डुप्लिकेट सूची में दर्ज मतदाताओं के सम्बंध में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगीः–

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
1.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम एक ही नगरीय निकाय में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।	सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
2.	डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक नगरीय निकाय में दर्ज है।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
3.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।	1. सम्बंधित नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जायेगी। 2. यदि मतदाता का नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना पंचायत के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जायेगी।

6.6 मतदाता सूची का पुनरीक्षण अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अतः डुप्लिकेट मतदाताओं के सम्बंध में कार्यवाही करने के लिए रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विविध मद बी–121 में प्रकरण दर्ज किये जाये। प्रकरण की एन्ट्री RCMS (Revenu Case Management System) में भी की जाये। प्रकरण का निराकरण नियत समयसीमा के पूर्व सुनिश्चित किया जाये।

6.7 मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण के तहत् निर्धारित समयावधि में प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) द्वारा दावे आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्ररूप ER-1, ER-2, ER-3 में नगरपालिका के लिए वार्ड में और पंचायत के लिए ग्राम पंचायतों में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्रों पर लिये जायेंगे।

6.8 प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा संकलित दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

i. नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे और आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती अनिवार्य रूप से आवेदक को दी जायेगी।

ii. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा यथासम्भव प्रतिदिन दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास "दैनिक विवरण रिपोर्ट" के साथ जमा कराये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अनिवार्य रूप से प्राधिकृत कर्मचारी को दी जाये।

iii. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन पत्रों को जमा कराने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को अपने कार्यालय में प्रतिदिन बुलाने की बजाये, दावा आपत्ति केन्द्र से सीधे आवेदन पत्र संकलित करने की व्यवस्था भी कर सकते है। इस स्थिति में भी प्राधिकृत कर्मचारी को पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

iv. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किये गये आवेदन पत्रों की दिनांकवार जानकारी एक रजिस्टर में संधारित की जाये। रजिस्टर में प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके, के प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन पत्र किस कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये है।

v. प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बारकोड लगाये जायें।

vi. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को "बारकोड" उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकरी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराये गये "बारकोड" का हिसाब रखेंगे।

vii. "बारकोड" किसी भी स्थिति में वेण्डर द्वारा सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केवल उन्हीं बारकोड का उपयोग करेंगे, जो उन्हें उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

viii. "बारकोड" लगाने के बाद आवेदन पत्रों की एन्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में कराई जायेगी।

ix. आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ERMS में एक से अधिक एकाउन्ट भी बना सकतें है और ऐसे हर एकाउन्ट से आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री की जा सकती है। एन्ट्री करने के लिए कितने एकाउन्ट बनाना है, यह निर्णय आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं लेंगे।

x. आवेदन पत्रों की एन्ट्री करते समय ERMS में बारकोड को स्केन करना होगा। यदि बारकोड स्केनर उपलब्ध नहीं है तो बारकोड में अंकित नम्बर की प्रविष्टि करना भी पर्याप्त होगा।

xi. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्थानीय स्तर पर बारकोड स्केन क्रय कर सकते है। एक अच्छा बारकोड स्केनर आसानी से 2 से 3 हजार रूपये में स्थानीय बाजारों में उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार मांग करने पर आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को बारकोड स्केनर क्रय करने के लिए आवंटन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

xii. ERMS में आवेदन पत्रों की एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विभिन्न विभागों के डाटा एन्ट्री आपरेटर/लिपिकों की ड्यूटी आवश्यक संख्या में लगा सकते है।

xiii. आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निराकरण की प्रविष्टि डिजिटल हस्ताक्षर से दर्ज करेंगे।

xiv. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक बार में एक से अधिक (Multiple) आवेदन पत्रों का निराकरण ERMS में डिजिटल हस्ताक्षर से कर सकते है। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्रों को एक एक कर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट किये गये सभी आवेदन पत्र एक साथ एक डिजिटल हस्ताक्षर से निराकृत किये जा सकते है।

xv. निराकृत आवेदन पत्रों की चैकलिस्ट निकालकर जाँच की जा सकती है और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारा जा सकता है।

xvi. ERMS में दावा आपत्ति के आवेदन पत्रों की प्रविष्टि करने की प्रक्रिया बहुत आसान और यूजरफ्रेन्डली है, तथापि एन्ट्री करने के लिए नियुक्त कर्मचारियों को भलिभांति प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.9 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की एन्ट्री और उनके निराकरण की कार्यवाही के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची के मुद्रण आदि सम्बंधी कार्यवाहियाँ पूर्ववत वेण्डर द्वारा की जायेंगी।

6.10 दावे आपत्तियों और डुप्लिकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् नगरपालिका की अनुपूरक सूची तैयार कर पहली जनवरी की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।

6.11 प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जेनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची को प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप **परिशिष्ट–बीस** में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा

स्केन कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की प्रिन्टिंग

6.12 आम अथवा उप चुनाव नहीं होने की स्थिति में प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेगीः—

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची	11 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित नगरपालिका कार्यालय. 3. सम्बंधित वार्ड कार्यालय या पास के निर्दिष्ट स्थान पर. 4. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए (07 प्रति). पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं एक अतिरिक्त कार्यालय प्रति.
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	11 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित नगरपालिका कार्यालय. 3. सम्बंधित वार्ड कार्यालय या पास के निर्दिष्ट स्थान पर. 4. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए (07 प्रति). पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं 5. जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु.

6.13 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वहाँ पर फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेंगीः—

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	1. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रति मतदान केन्द्र 02 अतिरिक्त प्रतियाँ (डबल साईड). 2. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के लिए 02 (डबल साईड) प्रतियाँ।	1. हर मतदान केन्द्र पर मतदान दल को उपलब्ध कराने के लिए 02 प्रतियाँ (डबल साईड). 2. रिटर्निंग ऑफिसर एक प्रति अपने लिये रखेंगे और एक प्रति को विभाजित कर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार उपलब्ध करायेंगे।

6.14 **प्रारूप मतदाता एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या से अधिक प्रतियाँ किसी भी स्थिति में मुद्रित न की जाये। उक्त प्रतियाँ डबल साईड प्रिन्ट की जायें। आयोग की लिखित अनुमति के बगैर निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में मतदाता सूची की प्रतियाँ मुद्रित करने पर होने वाले व्यय के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**

6.15 मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के नगरपालिक निगम की एक सी.डी. रहेगी तथा जिले शेष नगरीय निकायों की एक सी.डी. तैयार की जायेगी। सी.डी. में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्) उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।

6.16 अन्य रूपये 100/— प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रूपये 2/— प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।

1. मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के सुचारू संचालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ समयसीमा में सुनिश्चित करवाना होंगी :—

- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी आदि की नियुक्ति और समयसीमा में प्रशिक्षण।
- सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देश, परिपत्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की डेशबोर्ड से ऑनलाईन नियमित मॉनिटरिंग करना और समयसीमा में सभी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करवाना।
- कंट्रोल टेबल के संशोधन और अपडेशन के सम्बंध में समन्वय करना।
- शिफ्टिंग सम्बंधी विवादों के निराकरण के लिए यथासमय बैठक आयोजित कराना।
- प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची को नियत समय पर जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराना।
- स्टेंडिग कमेटी की बैठक का आयोजन कराना।
- वेण्डर से समन्वय कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कठिनाईयों को समयसीमा में निराकरण कराना।
- प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या में समयसीमा में प्रिन्टिग सुनिश्चित करना।

6.17 राजनैतिक दलों की सहभागिता हेतु मतदाता सूची एजेंट की नियुक्ति आयोग के पत्र क्रमांक एफ—52—7/2009/तीन/832 दिनांक 27.08.2009 के निर्देशानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

6.18 गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

*****

अध्याय–7

मतदाता सूची के निरीक्षण की व्यवस्था और उसका प्रकाशन

7.1 मतदाता सूची के निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये स्थानों (केन्द्रों) का निर्धारण :

नगरपालिका की मतदाता सूची सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिये निम्नांकित स्थानों (केंद्रों) पर उपलब्ध कराई जाए और ऐसे स्थानों पर दावे या आपत्तियां प्राप्त की व्यवस्था भी की जाएः–

(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय,

(2) प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय, तथा

(3) संबंधित नगरपालिका का कार्यालय और यदि नगर में उसका कोई उप कार्यालय हो तो ऐसा कार्यालय,

(4) अन्य स्थानः–

(क) **नगर परिषदों तथा ऐसी नगरपालिका परिषदों में मामले में जिनमें वार्डों की संख्या 20 तक हों**–मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि नगर की बस्तियां दूर–दूर तक फैली हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने विवेक से केन्द्रीय अवस्थिति वाले एक या दो अतिरिक्त स्थानों पर भी मतदाता सूची के निरीक्षण और उसके संबंध में दावे ताथ आपत्तियां प्राप्त करने की व्यवस्था की जा सकती है।

(ख) 20 से अधिक वार्डों वाली नगरपालिका परिषदों के मामले में 2 से 3 वार्डों के बीच में एक अतिरिक्त स्थान पर, तथा

(ग) नगर निगमों के मामले में प्रत्येक वार्ड में एक स्थान पर,

ऐसे अतिरिक्त स्थानों का चयन करते समय प्रशासनिक सुविधा के बजाय सार्वजनिक सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए. चयनित भवन ऐसा कोई भी सार्वजनिक भवन हो सकता है, जिसमें सामान्यतया निर्वाचन के समय मतदान केन्द्र रहता है, जैसे किः–

i. राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम का कोई कार्यालय

ii. कोई शासकीय महाविद्यालय/विद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र

iii. शासन से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी भी संस्था द्वारा संचालित कोई संस्थान/केन्द्र/विद्यालय

पार्षद के उप–निर्वाचन के मामले में विशेष उपबन्ध–पार्षद के किसी उप–निर्वाचन के ठीक पूर्व मतदाता सूची के निरीक्षण और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये व्यवस्था केवल निम्नांकित स्थानों (केन्द्रों) पर की जाए :–

I. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

II. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

III. संबंधित नगरपालिका का कार्यालय, तथा

IV. 20 से अधिक वार्डों वाली नगरपालिका परिषद् तथा नगर निगम के मामले में, संबंधित वार्ड जिसमें कि पार्षद का स्थान रिक्त है, में केन्द्रीय अवस्थिति वाला कोई मतदान केन्द्र भवन।

7.2 प्रचार–प्रसार :

1. उन स्थानों का जहां सार्वजनिक निरीक्षण के लिये मतदाता सूचियां या उनके संबद्ध भाग रखे जाने प्रस्तावित हों, व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की नगर स्थित इकाई और यदि नगर में कोई इकाई न हो तो जिला इकाई को, (2) संबंधित नगरपालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य को तथा (3) नगरपालिका के अध्यक्ष/महापौर और प्रत्येक पार्षद को उन स्थानों की जानकारी, जहां पर मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी, सूची के प्रकाशन की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व लिखित में भेजी जाए। स्थानीय समाचार पत्रों तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को भी इस संबंध में विज्ञप्तियां भेजी जाएं। इसके अतिरिक्त निम्नाकिंत उपाय भी अपनाए जा सकते हैं:–

I. नगर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, जैसे कि बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, उचित मूल्य की दुकान, डेयरी, प्रमुख शासकीय कार्यालयों एवं शासन के उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं में पोस्टर लगाना।

II. सिनेमा हालों में स्लाइड्स प्रदर्शन।

2. मतदाता सूची तैयार हो जाने पर और हर हालत में उसके प्रारंभिक प्रकाशन के लिये निर्धारित तारीख के पूर्व, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की नगर स्थित इकाई को, और यदि नगर में ऐसी इकाई न हो तो जिला स्थित इकाई को, लिखित में इस आशय की सूचना भेजी जाए कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदाता सूची की एक प्रति रजिस्ट्रकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में निम्नांकित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैः–

राष्ट्रीय दल :

(1) बहुजन समाज पार्टी, (2) भारतीय जनता पार्टी, (3) कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया,

(4) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी पार्टी), (5) इंडियन नेशनल कांग्रेस,

(6) नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, (7) तृणमूल कांग्रेस

दावे आपत्ति के लिये तथा मतदाता सूची को निःशुल्क उपलब्ध कराने के उपरांत उक्त की पावती संभाल कर रखी जावे तथा निर्वाचक नामावली प्रेक्षक को उक्त का अवलोकन कराया जावे।

7.3 प्रशासनिक व्यवस्था :

1. मतदाता सूची के निरीक्षण के लिये जो स्थान निर्धारित किए जाएं उनमें प्रत्येक में एक कर्मचारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है। सूची का निरीक्षण कराने तथा दावे आपत्तियां प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रकरण अधिकारी द्वारा उपयुक्त कर्मचारियों का चयन मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही कर लिया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारी सामान्यतया राजस्व निरीक्षक, नजूल सर्वेयर, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता आवश्यक संख्या में उपलब्ध न हों तो तृतीय श्रेणी के अन्य वरिष्ठ कर्मचारी (जैसे कि लेखापाल,उच्च श्रेणी लिपिक आदि) अथवा शिक्षकों का चयन किया जा सकता है। चयनित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश **परिशिष्ट–चार** में दिये गये प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जाए। परंतु आदेश जारी करने के पूर्व चयनित कर्मचारियों की सूची का अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर से प्राप्त कर लिया जाए।

   जहां तक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का प्रश्न है, सामान्यतया 3 प्राधिकृत कर्मचारियों के ऊपर (अर्थात् निरीक्षण के लिये निर्धारित 3 केन्द्रों के ऊपर) एक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं अपने कार्यालय में स्थापित केन्द्र सहित, एक या दो और केन्द्रों का प्रभार सीधे अपने पास रखना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क साधकर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश, सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रसारित करा लेने चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, उनके नियुक्ति आदेश **परिशिष्ट–पांच** में दिये गये प्ररूप में प्रसारित किए जाएं।

2. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के पूर्व किसी एक दिन समस्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा निर्धारित स्थानों (केन्द्रों) पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों को अपने कार्यालय अथवा तहसील मुख्यालय में बुलाकर उनके प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनकी शंकाओं/पृच्छाओं का पूरी तरह समाधान किया जाए. उन्हें मतदाताओं

के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका तथा मतदाता सूची की एक–एक प्रति सहित अन्य समस्त सामग्री का प्रदाय भी उसी दिन किया जा सकता है।

3. जिस स्थान (केन्द्र) में प्राधिकृत कर्मचारियों को कार्य करना है, उसका रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं निरीक्षण करके, वहां बैठने और कार्य करने के लिये समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

4. प्रकाशित सूची की सुरक्षा और देखभाल का उत्तरदायित्व निरीक्षण के स्थान पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी का होगा और वह दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि के दौरान वहां पर निरंतर उपस्थित रहेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सूची के निरीक्षण और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थानों (केन्द्रों) का निरंतर निरीक्षण किया जाए और यदि वहां कार्य संचालन में किसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा हो तो उसे तत्परता से दूर किया जाए।

6. दावे तथा अपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थान (केन्द्र) में मतदाता सूची के निरीक्षण हेतु आने वाले लोगों के बैठने के लिये एक बेंच या 2 या 3 कुर्सियों की व्यवस्था की जाए तथा सूची, वहीं एक मेज पर रखी जाए। कमरे के बाहर एक नोटिस बोर्ड भी लगाया जाए. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे तथा आपत्ति के प्ररूपों (फार्मों) के एक–एक नमूने अपने कक्ष में किसी सहज दृश्य स्थान पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किए जाएं।

7. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों को दावे तथा आपत्तियों से संबंधित कार्य सम्पादन के लिए निम्नांकित सामग्री उपलब्ध कराई जानी होगी. अतएव इनकी पहले से व्यवस्था कर ली जाएः–

   (i) प्राधिकृत कर्मचारी (बी.एल.ओ.) बुकलेट।

   (ii) दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण।

   (iii) बाल प्वाइन्ट पेन।

   (iv) स्टाम्प पैड।

8. प्रत्येक प्राधिकृत कर्मचारी उस सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संबद्ध रहेगा जिसकी अधिकारिता क्षेत्र के वार्ड में उसे नियुक्त किया गया है उसी के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

7.4 मतदाता सूची का प्रकाशन :

उस तारीख को, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की गई हो, मतदाता सूची आम लोगों के निरीक्षण के लिये प्रकाशित कर दी जाए. इस हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर **परिशिष्ट–छः** में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाए और उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाए।

*****

अध्याय–8

दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना

प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

8.1 दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदनपत्रों के प्ररूप में परिवर्तन कर नये प्ररूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) और ER-4 (अपील) जारी किये है। **(परिशिष्ट–7 से परिशिष्ट–9 एवं परिशिष्ट–17)**

8.2 प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के तत्काल उपरांत वेण्डर द्वारा **जाँच सूची (सेम्पल–5)** प्रदाय की जायेगी। **जाँच सूची** ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम नगरपालिका की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी, जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची के साथ–साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके।

8.3 **जाँच सूची** में शामिल मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की जाये और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित किये जायें। मृत मतदाता और शिफ्टेड मतदाताओं के सम्बंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाये।

8.4 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वेण्डर से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट होने के तत्काल बाद **डुप्लिकेट सूची (सेम्पल–6)** प्राप्त कर लेना चाहिए। **डुप्लिकेट सूची** में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है। यह सूची 3 भागों में होगी :–

i. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही नगरीय निकाय में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है **{सेम्पल–6(1)}**।

ii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक नगरीय निकाय में दर्ज है **{सेम्पल–6(2)}**।

iii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है **{सेम्पल–6(3)}**।

8.5 मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52–4/2015/तीन/नपा/745, दिनांक 19.10.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची **(डुप्लिकेट सूची)** के सम्बंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डुप्लिकेट सूची में दर्ज मतदाताओं के सम्बंध में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी :–

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
1.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम एक ही नगरीय निकाय में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।	सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
2.	डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक नगरीय निकाय में दर्ज है।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
3.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।	1. सम्बंधित नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जायेगी। 2. यदि मतदाता का नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना पंचायत के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जायेगी।

8.6 डुप्लिकेट सूची के सम्बंध में की जाने वाली कार्यवाही में प्राधिकृत कर्मचारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सहयोग करेगा।

दावे तथा आपत्तियों के संबंध में कार्यवाही

8.7 मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण के तहत् निर्धारित समयावधि में प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) द्वारा दावे आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्ररूप ER-1, ER-2, ER-3 में नगर पालिका के लिए वार्ड में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्रों पर लिये जायेंगे।

8.8 मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि के दौरान आपको केन्द्र में प्रत्येक दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निरंतर उपलब्ध रहना चाहिए, इस बीच यदि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची देखना चाहे तो उसे तत्परता से सूची का निरीक्षण करने का

अवसर देना चाहिए, तदुपरान्त यदि वह सूची में अपना या अपने परिवार के, किसी सदस्य का नाम (जो कि मतदाता के रूप में रजिस्टर किये जाने के लिए पात्र है), जोड़े जाने के लिए या सूची में अंकित नाम, आयु या अन्य किसी विवरण में हुई त्रुटि को दूर करने के लिए या सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के नाम हो हटाए जाने के लिए आवेदन–पत्र (दावा या आपत्ति) पेश करना चाहे तो उसे सुसंगत फार्म (प्ररुप) तत्परता से उपलब्ध कराया जाए, दावे या आपत्तियाँ प्रत्येक कार्यकारी दिन, प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए नियत आखरी तारीख को केवल 3:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है, यदि कोई व्यक्ति दावा या आपत्ति, आपको प्रस्तुत करने के बजाय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सीधे देना चाहे या डाक से भेजना चाहे तो, वह ऐसा कर सकता है।

8.9 सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन–पत्र ही स्वीकार किए जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से संबंधित आवेदन–पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए, यदि कोई अन्य व्यक्ति भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो, दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह संबन्धित व्यक्तियों से अलग–अलग आवेदन–पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग–अलग पूछताछ की जानी होगी।

8.10 दावे तथा आपत्तियाँ निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं :–

(क) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना,

(ख) नाम गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना, तथा

(ग) मतदाता सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है।

8.11 दावे और आपत्तियां आयोग द्वारा निर्धारित प्ररुप (फार्म) में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वे अपने मत से तैयार किये गये किसी फार्म में स्वीकार नहीं किये जा सकते, परन्तु उनका आयोग द्वारा छपाये गये फार्म में ही होना आवश्यक नहीं हैं। वे निर्धारित प्ररुप की फोटोकापी में, या टाईप किये हुए या हाथ से लिखकर तैयार की गई कापी में भी स्वीकार किये जा सकते हैं।

8.12 आयोग द्वारा विहित प्ररुप निम्नांकित है :–

(1) **परिवर्धन दावा–(प्ररुप–ER-1)**–दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई मतदाता अपना नाम सूची के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररुप (फार्म) में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) **विलोपन आपत्ति (प्ररूप–ER-2)**–ऐसी आपत्ति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम संबन्धित नगरपालिका की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है अर्थात् जो संबन्धित नगरपालिका का मतदाता है।

(3) **संशोधन आपत्ति (प्ररूप–ER-3)**–यह आपत्ति मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे (जैसे– मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) के संबन्ध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपत्ति हो सकती है। ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्टि संबन्धित है, इसके लिए किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

8.13 प्राधिकृत कर्मचारी का यह कर्त्तव्य है कि दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यदि प्ररुप (फार्म) भरने में या किसी प्रविष्टि को ठीक से समझने में आपसे मार्गदर्शन या सहायता मांगे तो आप ऐसी सहायता या मार्गदर्शन प्रसन्नतापूर्वक दें।

8.14 कोई दावा तथा आपत्ति प्राप्त होने पर दावेदार या आपत्तिकर्ता को "आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना" हाथों–हाथ दी जाए। मामले में रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए वह तारीख डाली जाए जो दावा या आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के दिन के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाले कार्यकारी दिवस की तारीख हो। उदाहरणार्थ यदि दावा या आपत्ति आवेदन–पत्र 5 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है तो सुनवाई के लिए पेशी तारीख 9 की डाली जाए, साथ ही दावेदार या आपत्तिकर्ता से पेशी तारीख की सूचना प्राप्त हो जाने के प्रमाण स्वरूप, पावती पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए।

8.15 प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाए और उसके आधार पर दावा या आपत्ति के प्ररुप में, सुसंगत स्थान पर, अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए, पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के विषय में की जाए :–

I. 01 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है? उसकी स्कूल में अंकित जन्म तिथि क्या है और यदि ऐसे कोई कागज़ (प्रमाणपत्र) उपलब्ध न हो तो उसके पास अन्य कौन सा कागज़ या परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है। यदि दावेदार की आयु 18 वर्ष से कहीं अधिक हो (जैसे कि 25 या 30 वर्ष) तो उसके द्वारा पूर्व में विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण था? क्या ऐसा कारण संतोषजनक है ?

II. वह सामान्यतया कहां रहता है अर्थात् उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहाँ है और वह क्या करता है? उसके परिवार में और कौन–कौन से लोग हैं तथा क्या उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हैं?

III. जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहाँ हुई?

IV. जिस व्यक्ति का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने या अन्यत्र चले जाने या अपात्रता के कारण मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाए जाने के लिए मांग) की गई है, वह कब और कहाँ चला गया या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है?

8.16 उपरोक्त पूछताछ के पश्चात् ही दावे या आपत्ति प्ररूप में सुसंगत स्थान पर प्राधिकृत कर्मचारी को अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि उसकी राय में दावा या आपत्ति स्वीकार करने योग्य है या नहीं?

8.17 पूछताछ के समय यदि दावेदार/आपत्तिकर्ता की ओर से कोई कागज़ पत्र प्रस्तुत किये जाएं तो उन्हें भी उसके प्ररूप (फार्म) के साथ संलग्न कर दिया जाए, यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राधिकृत कर्मचारी रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह चाहे तो मामले में सुनवाई के दौरान अपनी संतुष्टि के लिए आगे और पूछताछ कर सकता है या अलग से और भी जाँच कराकर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाल सकता है।

8.18 प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा, प्रत्येक दिन प्राप्त दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम को निर्धारित प्ररूप में तीन प्रतियों में तैयार किया जाए। इस विवरण की दो प्रति, प्राप्त दावे और आपत्ति मूल प्ररूपों के साथ, अगले दिन रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दी जाए, जबकि तीसरी प्रति अपने कार्य स्थान अर्थात् केन्द्र के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रातः 10:00 बजे आम लोगों की सूचना और अवलोकन के लिए लगा दी जाए। नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाए। इसके पीछे मंशा यह है कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने या किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो नगर के लोगों को उसका पता चल जाए और वे ऐसे प्रयास को निष्फल करने के लिए आपको यह सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तथ्यों से अवगत करा सकें। यदि किसी दिन कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से संबंधित निरंक दैनिक विवरण तैयार किया जाए और उसका उपरोक्तानुसार प्रदर्शन और प्रेषण किया जाए। दैनिक विवरण की वह प्रति जो प्राप्त प्ररूपों (फार्म) सहित रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास पहुंचाई जानी है, को भेजे जाने के संबंध में

उन्होंने जो भी व्यवस्था की हो या जैसे भी निर्देश दिये हों, उनके अनुसार ही आपके द्वारा कार्यवाही की जाए।

8.19 दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को अपरान्ह 3:00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार न किया जाए। उस दिन प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम तक केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाए और रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वाली प्रतिलिपि भी (प्राप्त दावे और आपत्ति के प्ररूपों सहित) भेजे जाने हेतु तैयार कर ली जाए।

8.20 कार्य पूर्ण हो जाने पर, आखरी दैनिक विवरण के साथ प्रारूप मतदाता सूची तथा बचे हुए प्ररुप (फार्म) सादे कागज पर लिखी गई एक रिपोर्ट के साथ (जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कुल कितने दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिये जाएं।

8.21 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) नियुक्त किया गया है। राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) द्वारा प्रत्येक जिले में वेण्डर नियुक्त किया गया है। वेण्डर से डाटा एण्ट्री के उपरान्त चेकलिस्ट (परिवर्धन, निरसन, संशोधन) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होगी, जिसकी जाँच आपके द्वारा की जाएगी। नियत समय में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात् फोटोयुक्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कोई त्रुटि नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।

8.22 प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा संकलित दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

i. नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे और आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती अनिवार्य रूप से आवेदक को दी जायेगी।

ii. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा यथासम्भव प्रतिदिन दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास "दैनिक विवरण रिपोर्ट" के साथ जमा कराये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अनिवार्य रूप से प्राधिकृत कर्मचारी को दी जाये।

iii. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन पत्रों को जमा कराने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को अपने कार्यालय में प्रतिदिन बुलाने की बजाये, दावा आपत्ति केन्द्र से सीधे आवेदन पत्र संकलित करने की व्यवस्था भी कर सकते है। इस स्थिति में भी प्राधिकृत कर्मचारी को पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

iv. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किये गये आवेदन पत्रों की दिनांकवार जानकारी एक रजिस्टर में संधारित की जाये। रजिस्टर में प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके, के प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन पत्र किस कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये है।

v. प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बारकोड लगाये जायें।

vi. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को "बारकोड" उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकरी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराये गये "बारकोड" का हिसाब रखेंगे।

vii. "बारकोड" किसी भी स्थिति में वेण्डर द्वारा सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केवल उन्हीं बारकोड का उपयोग करेंगे, जो उन्हें उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

viii. "बारकोड" लगाने के बाद आवेदन पत्रों की एन्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में कराई जायेगी।

ix. आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ERMS में एक से अधिक एकाउन्ट भी बना सकतें है और ऐसे हर एकाउन्ट से आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री की जा सकती है। एन्ट्री करने के लिए कितने एकाउन्ट बनाना है, यह निर्णय आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं लेंगे।

x. आवेदन पत्रों की एन्ट्री करते समय ERMS में बारकोड को स्केन करना होगा। यदि बारकोड स्केनर उपलब्ध नहीं है तो बारकोड में अंकित नम्बर की प्रविष्टि करना भी पर्याप्त होगा।

xi. आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निराकरण की प्रविष्टि डिजिटल हस्ताक्षर से दर्ज करेंगे।

xii. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक बार में एक से अधिक (Multiple) आवेदन पत्रों का निराकरण ERMS में डिजिटल हस्ताक्षर से कर सकते है। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्रों को एक एक कर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट किये गये सभी आवेदन पत्र एक साथ एक डिजिटल हस्ताक्षर से निराकृत किये जा सकते है।

xiii. निराकृत आवेदन पत्रों की चैकलिस्ट निकालकर जाँच की जा सकती है और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारा जा सकता है।

8.23 दावे आपत्तियों और डुप्लिकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् नगरपालिका की अनुपूरक सूची तैयार कर पहली जनवरी की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।

8.24 प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जेनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची को प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारी निर्दिष्ट समयावधि में विहित स्थानों पर प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे और तत्सम्बंधी प्रमाणपत्र **परिशिष्ट–बीस** में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

8.25 अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्केन कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।

8.26 मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के नगरपालिक निगम की एक सी.डी. रहेगी तथा जिले शेष नगरीय निकायों की एक सी.डी. तैयार की जायेगी। सी.डी. में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्) उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।

8.27 अन्य रूपये 100/– प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रूपये 2/– प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।

*****

अध्याय–9

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही करना

9.1 जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को बहुधा इस आशय की जानकारी/शिकायतें प्राप्त होती हैं कि सूची में सम्मिलित अमुक–अमुक व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहः–

(1) नगरपालिका क्षेत्र से बाहर चला गया है, या

(2) नगरपालिका के एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है, या

(3) नगरपालिका के साथ–साथ किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में भी रजिस्ट्रीकृत है, या

(4) मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये अन्यथा हकदार नहीं है।

कभी–कभी किसी व्यक्ति का नाम नगरपालिक की मतदाता सूची में दो–दो स्थानों पर दर्ज होने की शिकायतें भी मिलती हैं।

लेकिन उपरोक्त प्रकार की शिकायतें करने वाले लोग स्वयं आगे आकर, मतदाता सूची के संशोधन के दौरान (अर्थात् प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात् दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की समयावधि के दौरान) विहित प्ररूप में आपत्ति नहीं करते। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 13(2)/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) के अंतर्गत इस प्रकार के नामों को स्वप्रेरणा से हटाए जाने की कार्यवाही की जा सकती है। प्राप्त शिकायत या जानकारी प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होने पर आश्वस्ति हो जाने पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उसका अभिज्ञान लेते हुए स्वप्रेरणा से एक प्रकरण पंजीकृत किया जाए और संबंधित व्यक्ति को अर्थात् जिसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना प्रस्तावित है उसे, **परिशिष्ट–ग्यारह** में दिये गये प्ररूप में उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) नोटिस भेजा जाए। मामले में सुनवाई की तारीख, नोटिस जारी होने के 3 दिन बाद की रखी जाए. संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित तारीख को प्रस्तुत को प्रस्तुत अभ्यावेदन या मौखिक या लिखित साक्ष्य पर विचार करने के बाद उसके नाम को मतदाता सूची से हटाने के प्रश्न पर निर्णय किया जाए।

9.2 यह संभव है कि मतदाता सूची तैयार करते समय असावधानी या गलती से :

(i) कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम छूट जाएं जिनके नाम विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में अथवा आयोग की पिछली मतदाता सूची में सम्मिलित थे, या

(ii) किसी मतदाता अथवा कुछ मतदाताओं की प्रविष्टियां उस वार्ड में दर्ज होने के बजाय जिसके व मामूली तौर पर निवासी हैं, किसी अन्य वार्ड में दर्ज हो जाएं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जानकारी में यदि ऐसी कोई गलती आए तो उसे चाहिए कि वह मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान ही उसे ठीक करने के लिये उपचारी कार्यवाही करे। ऐसे मामलों में उसके द्वारा स्वप्रेरणा से छूटे हुए मतदाताओं के नामों को सूची में सम्मिलित करने अथवा गलत स्थान पर अंकित प्रविष्टियां सही स्थान पर अंतरित करने हेतु प्रकरण पंजीकृत करके, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित की जाए। सूचना **परिशिष्ट–बारह** में जारी की जाए और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा एक–एक प्रति निम्नांकित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए :–

(1) नगरपालिका कार्यालय, तथा

(2) वह कार्यालय जहां संबंधित वार्ड की मतदाता सूची सार्वजनिक निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये रखी गई है।

ऐसे मामले में सुनवाई की तारीख, सूचना के प्रकाशन के 3 दिन बाद की निर्धारित की जाए और निर्धारित तारीख को प्रस्तुत अभ्यावेदन या किसी मौखिक या लिखित आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकरण में समुचित निर्णय किया जाए।

9.3 (1) बहुधा यह देखा गया है कि मतदाता सूची में ऐसे अनेक व्यक्तियों के नाम बने रहते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतदाता सूची से मृतक का नाम हटाए जाने के संबंध में न तो उसके घरवालों द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है और न ही संबंधित वार्ड के किसी मतदाता द्वारा इस संबंध में प्रारंभिक सूची के प्रकाशनोपरान्त कोई आपत्ति की जाती है, अतएव इस संबंध में समुचित कार्यवाही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाना अपेक्षित है।

(2) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु का पंजीकरण आवश्यक है। जिला स्तर पर, जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी को पदेन जिला रजिस्ट्रीकरण घोषित किया गया है। उसके पर्यवेक्षण में यह कार्य नगरीय क्षेत्रों में नगरीय

निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थानों द्वारा संपादित किया जाता है। अतः मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के मृतकों के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है। इस हेतु (सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा) संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को एक पत्र भेजकर उससे विगत कैलेण्डर वर्ष अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच पंजीकृत ऐसे मृतकों की जानकारी प्राप्त की जाए जिनकी आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से अधिक थी. यह जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में मंगाई जाएः—

प्राप्त

विषयः—दिनांक 1 जनवरी,..........................से 31 दिसबंर......................के दौरान 18 वर्ष से अधिक की आयु के मृतकों की सूची

क्रमांक	मृतक का नाम	पिता/पति का नाम	मृत्यु के समय आयु	मृतक के निवास स्थान का पता	
				मोहल्ला/वार्ड नं.	मकान नंबर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

स्थान.......................................

दिनांक....................................

हस्ताक्षर..................................

नाम..

स्वास्थ्य अधिकारी/प्रभारी अधिकारी

प्राप्त जानकारी का पुनः सत्यापन आवश्यक नहीं है क्योंकि वह कानून के प्रावधानों के अंतर्गत संधारित जानकारी है. इसके आधार पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मूल मतदाता सूची में सम्मिलित मृतकों के नाम लाल स्याही से काट दिये जाएं और संबंधित नगरीय निकाय की अनुपूरक मतदाता सूची में, विलोपन शीर्षक के अंतर्गत, उनका उल्लेख किया जाए। यदि, कदाचित मतदाता सूची में ऐसे किसी मृतक का नाम पहले से ही शामिल न हो तो उसके विलोपन का प्रश्न नहीं उठेगा।

मतदाता सूची एजेण्टों की नियुक्ति के संबंध में

1. आयोग मतदाता सूचियों की तैयारी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता चाहता है जिससे मतदाता सूचियों की तैयारी में पारदर्शिता एवं यथार्थता रखने में सुविधा होगी। इस हेतु प्रारूप प्रकाशन पर मतदाता सूची की एक प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिले के अध्यक्ष/प्रभारी को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
2. आयोग का ऐसा अनुमान है कि प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन पश्चात् राजनैतिक दलों द्वारा मतदाता सूचियों की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दिशा में अपेक्षित सक्रियता समय रहते नहीं दिखाई जाती है। यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रारूप मतदाता सूची की विसंगतियां समय रहते संबंधित अधिकारियों (रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) के ध्यान में ला दी जाएं तो उन विसंगतियां का निराकरण मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जा सकता है।
3. प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूचियों के संबंध में मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जानकारी प्राप्त कर प्रारूप मतदाता सूचियों को अद्यतन किये जाने की प्रक्रिया में सहभागिता हेतु आयोग द्वारा "मतदाता सूची एजेन्ट" नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी नियुक्ति प्राधिकृत कर्मचारियों के संदर्भ में होगी और जो एक वार्ड विशेष की मतदाता सूचियों के संदर्भ में जांच हेतु अधिकृत होगा।
4. आयोग के उक्त निर्णय के परिप्रक्ष्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संलग्न निर्धारित प्ररूप में "मतदाता सूची एजेन्ट" नियुक्त कर सकेंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने अध्यक्ष/सचिव/कार्यकारिणी सदस्य (office bearer) के माध्यम से एक जिला प्रतिनिधि (district representative) को जिले में मतदाता सूची एजेण्टों की नियुक्ति हेतु अधिकृत कर सकेंगे। अधिकृत किये जाने संबंध में **प्ररूप–1** संलग्न है। जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेण्टों के नियुक्ति पत्र इंक पेन/बाल पेन से हस्ताक्षरित किए जाएंगे। हस्ताक्षर हेतु रबर स्टाम्प का उपयोग नहीं किया जाएगा।
5. शासकीय सेवक अथवा स्थानीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में कार्यरत कर्मचारी "मतदाता सूची एजेण्ट" के रूप में नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे।
6. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अधिकृत जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेण्ट की नियुक्ति संलग्न निर्धारित **प्ररूप–2** में की जायेगी। मतदाता सूची एजेण्ट अपना नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
7. "मतदाता सूची एजेण्ट" मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियां प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मतदाताओं को निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करेगा।
8. मतदाता सूची एजेण्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र में मृत एवं अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की सूची प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित संलग्न प्ररूप 3 एवं 4 में प्रस्तुत कर सकेगा। संबंधित एजेण्ट को उसके द्वारा

प्रस्तुत जानकारी की सत्यता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई सूची उसकी जानकारी के आधार पर सत्य है. उक्त घोषणा के मिथ्या होने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

9. मतदाता सूची एजेण्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र में मतदाताओं को मतदाता सूची के प्रारूप के निरीक्षण हेतु प्रेरित करेगा तथा यथास्थिति मतदाता सूची में नाम/संशोधन/विलोपन तथा स्थानांतरित किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी प्रकार "मतदाता सूची एजेण्ट" मार्गदर्शक के रूप में 18 वर्ष या उससे अधिक के मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करेगा।

10. मतदाता सूची एजेण्ट अपरिहार्य स्थिति जैसे मृत्यु की स्थिति में ही बदला जा सकेगा. उनको बदले जाने की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया अनुसार ही होगी। अगर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नया "मतदाता सूची एजेण्ट" नियुक्त किया जाता है तो प्रारूप मतदाता सूची की वही प्रति उपयोग में लाई जाएगी जो पूर्व में मतदाता सूची एजेण्ट को मान्यता प्राप्त दल द्वारा प्रदान की गई है।

प्रारूप मतदाता सूची की शुद्ध और त्रुटि रहित तैयार करने के संबंध में राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। इस संदर्भ में पार्टी द्वारा आवश्यक जानकारी तथा निर्देश संबंधित एजेण्ट को दिये जाना होंगे।

*****

अध्याय–10

दावों और आपत्तियों में जांच और उनका निपटारा

10.1 रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रतिदिन प्राधिकृत कर्मचारियों से, दावे और आपत्तियों के प्रारूपों के साथ **परिशिष्ट–दस** में तैयार किये गये "दैनिक विवरण" की दो प्रतियां होंगी. "दैनिक वितरण" की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। यह प्रति, मामले में सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख तक, नोटिस बोर्ड पर बराबर लगाकर रखी जाए।

दैनिक विवरण की दूसरी प्रति का उपयोग दावे और आपत्तियों का "प्रकरण रजिस्टर" संधारित करने लिये किया जाए. यह रजिस्टर **परिशिष्ट–तेरह** में संधारित किया जाए।

10.2 **प्ररूप–ER-2** में प्राप्त आपत्तियों से संबंधित मामलों में, अर्थात् जिनमें मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की गई हो, अपेक्षित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। अतएव ऐसे मामलों में आपेक्षित व्यक्ति को (अर्थात् जिसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना प्रस्तावित है) सुनवाई के लिये उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) **परिशिष्ट–चौदह** में दिये गये प्ररूप में, तुरंत सूचना भेजी जाए। सूचना की 'तामील–रसीद' प्रकरण से संबंधित अभिलेख में रखी जाए। इस सूचना में सुनवाई के लिये वही तारीख अंकित की जाए जो कि आपत्तिकर्ता को प्राधिकृत कर्मचारी ने **प्ररूप–ER-2** में उसकी आपत्ति प्राप्त करते समय संसूचित की हो।

10.3 रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त दावों और आपत्तियों पर अथवा स्वप्रेरणा से पंजीकृत प्रकरणों में सुनवाई, उस तारीख को अवश्य करनी चाहिए जो दावेदार या आपत्तिकर्ता को दी गई पेशी तारीख की सूचना में अंकित है। निर्धारित तारीख को सुनवाई और आवश्यक जांच कर लेने से, न केवल पक्षकारों को सुविधा होती है वरन कार्य नियमित रूप से निपटता जाता है और आखरी दिनों के लिये काम बहुत अधिक बोझ इकट्ठा नहीं होने पाता। **सभी दावे और आपत्तियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित तारीख तक अवश्य निपटा दिए जाने चाहिए।**

10.4 रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य का अधिकांश भाग मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिये दावों से संबंधित रहता है। ऐसे दावों में मुख्यतः यह देखा जाना होता है कि क्या दावेदार

उस वर्ष की 1 जनवरी को, जिस वर्ष में मतदाता सूची पुनरीक्षित की जा रही है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा क्या वह वस्तुतः संबंधित नगर का मामूली तौर (अर्थात् सामान्यतः) निवासी है।

जहां तक आयु का प्रश्न है, उसके लिये जन्मतिथि का कोई विश्वसनीय आधार (जैसे कि परीक्षा प्रमाण–पत्र, शाला पंजी या नगरपालिका के अभिलेख में लिखित जन्मतिथि आदि) उपलब्ध हो तो काम आसान हो जाता है, अन्यथा कोई आनुषंगी साक्ष्य जैसे कि भाई–बहनों की आयु ज्ञात की जानी चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय करना चाहिए।

जहां तक मामूली निवास स्थान (अर्थात् सामान्यतः निवास करने के स्थान) का प्रश्न है, यह तथ्य का प्रश्न है कि वह उस स्थान विशेष का निवासी है या नहीं।

मामूली तौर से निवासी (सामान्यतः निवासी) का अर्थ :

मामूली तौर पर निवास स्थान (सामान्यतः निवास के स्थान) से आशय उस स्थान से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति सामान्यतः सोने के लिये करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह उस स्थान पर खाना भी खाता हो, वह भोजन या काम, बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। रहने के ऐसे सामान्य स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति की अनदेखी की जा सकती है। कुछ समय के लिये अनुपस्थित रहना किसी व्यक्ति के सामान्य निवास को तब तक स्पष्ट है कि सांसद और विधायक, भले ही (सांसद या विधायक के रूप में) अपने कार्यकलापों के सिलसिले में अपने रहने के सामान्य स्थान से बाहर रहते हों फिर भी वे अपने नगर या ग्राम में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के हकदार होंगे। यह केवल तथ्य का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष का सामान्यतः निवासी है या नहीं? जो व्यक्ति नौकरी या व्यापार के लिये ग्राम या नगर से बाहर चला गया हो उसे उस स्थान से बाहर गया हुआ ही माना जाएगा. संबंधित ग्राम या नगर में ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे के किसी भवन या अन्य सम्पत्ति से उसे सामान्यतः निवासी की योग्यता प्राप्त नहीं होगी।

जेलों, अस्पतालों आदि में रहने वाले व्यक्ति उन नगरों/वार्डों की मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकते जिनमें ऐसी संस्थाएं स्थित हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इन संस्थाओं में अस्थायी अवधि के लिये ही रह रहे होते हैं। यही स्थिति लगभग अधिकांश छात्रावास में रहने वाले छात्रों के मामले में भी लागू होती हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था (जैसे कि किसी आश्रम या निकेतन) में लंबे समय से रह रहा हो और उसका अपने सामान्य निवास के स्थान पर आते–जाते रहने का सिलसिला लंबे अंतराल से बंद हो गया हो, तो उसे उस स्थान का सामान्य निवासी माना जा सकता है, जहां ऐसी संस्था स्थित हो। सामान्य सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति को उसके निवास के सामान्य स्थान पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए,

भले ही वह वहां से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित भी क्यों न रहता हो, परंतु उसे ऐसे पते पर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जहां वह अस्थायी रूप से रह रहा हो।

10.5 संदेहास्पद मामलों में दावेदार/अपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है या दावेदार के निवास स्थान/मोहल्ले में जाकर स्थानीय पूछ–ताछ की जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र से बहुत अधिक संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हों तो उनके उचित और शीघ्र निराकरण के लिये मौके पर ही संक्षिप्त जांच करना बहुत सहायक होगा।

10.6 दावेदार/आपत्तिकर्ता का बयान अभिलिखित करने और ऐसी अन्य संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसा कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उचित समझे, उसके द्वारा अपना निर्णय लेखबद्ध किया जाए तथा दावेदार/आपत्तिकर्ता द्वारा मांग की जाने पर आदेश की एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदाय की जाए।

10.7 रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निपटाए गए समस्त दावों और आपत्तियों का विवरण और उनमें अपने निर्णयों का सार, "प्रकरण रजिस्टर" **(परिशिष्ट–तेरह)** में दर्ज किया जाए। "प्रकरण रजिस्टर" की प्रत्येक प्रविष्टि के समक्ष रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाएं और यदि किसी प्रविष्टि में कोई काट–कूट हो तो वहां पर भी अपने लघु हस्ताक्षर किए जाएं। रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ में आखिरी प्रविष्टि के नीचे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किए जाएं और अपनी मोहर भी लगाई जाए।

*****

अध्याय–11

अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उनका प्रकाशन

11.1 सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा "प्रकरण रजिस्टर" में की गई प्रविष्टियों के आधार पर वार्डवार "अनुपूरक मतदाता सूची" तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाए। अनुपूरक सूची **परिशिष्ट–पन्द्रह** में दिये गये प्ररूप में तैयार की जाए। यह कार्य बहुत ही महत्वपूण होने के कारण इसे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत निगरानी में सम्पन्न कराया जाए। इस कार्य में उन्हीं कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाए जो कि पूर्व में मतदाता सूची का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये नियुक्त किये गये थे. प्रत्येक वार्ड और यदि वार्ड में एक से अधिक भाग हों तो प्रत्येक भाग के लिये एक अलग अनुपूरक सूची बनाई जाए।

'परिवर्धन' शीर्ष के अंतर्गत जोड़े गये मतदाताओं के सरल क्रमांक (सीरियल नंबर) मूल सूची की क्रम संख्या के आगे जारी रखे जायेंगे। उदाहरणार्थ यदि मूल सूची के सुसंगत भाग में अंतिम मतदाता की क्रम संख्या 950 हो तो परिवर्धन सूची, क्रमांक 951 से प्रारंभ की जाए और उसे क्रमशः आगे बढ़ाया जाए।

'संशोधन' शीर्ष के अंतर्गत मूल मतदाता सूची मे सम्मिलित मतदाताओं के नाम,गृह क्रमांक, आयु आदि प्रविष्टियों की अशुद्धियों को दूर करते हुए उन्हें संशोधित रूप में दर्शाया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम संशोधन शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किये जाएं उनसे संबंधित प्रविष्टियों को मूल सूची में लाल स्याही में सुधार दिया जाए।

'विलोपन' शीर्षक के अंतर्गत मूल ऐसे मतदाताओं के नाम अंकित किये जाएंगे जो किसी भी कारण से संबंधित नगरपलिका में पंजीकृत मतदाता बने रहने के पात्र नहीं है। जिन मतदाताओं के नाम विलोपन सूची में शामिल किये जाएं उनके नाम मूल सूची में, लाल स्याही से, काट दिये जाएं।

11.2 सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के समस्त वार्डों की अनुपूरक सूचियां उपरोक्तानुसार निर्धारित प्ररूप में तैयार कर लिये जाने के पश्चात् उन्हें क्रमवार व्यवस्थित किया जाए और अन्य सारे कागजपत्रों (जैसे कि प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावे और आपत्तियां और उनमें पारित आदेश, प्रकरण रजिस्टर) के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिया जाए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी, अपने पास की अनुपूरक सूचियों और कागजपत्रों को भी ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाए और तदुपरान्त समस्त अनुपूरक सूचियों को समेकित करके उनकी एक फोटो कापी कराई जाए। इस प्रकार तैयार किए गए दो सेट्स में से एक सेट अपने पास रखते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दूसरा सेट राज्य स्तरीय एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी। वेण्डर से डाटा एन्ट्री के उपरांत चेकलिस्ट (परिवर्धन,

निरसन, संशोधन) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होगी, जिसकी सूक्ष्मता से जांच कराने के उपरांत, उसे वेण्डर को उपलब्ध कराया जाकर त्रुटियों का सुधार कराया जाएगा।

11.3 **अनुपूरक सूचियों का मुद्रण**–जिला स्तर पर, संपूर्ण नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड की अनुपूरक सूची की उतनी ही प्रतियां मुद्रित कराई जाएं जितनी कि मूल मतदाता सूची की कराई गई हों। मुद्रण के दौरान "प्रूफ रीडिंग" का दायित्व पूर्ववत् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा, जो कि यह कार्य या तो स्वयं या किसी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की व्यक्तिगत निगरानी में सम्पन्न कराएगा। अनुपूरक सूची की मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मूल सूची में, सुसंगत वार्ड (या उसके भाग) के साथ संलग्न किया जाए। प्रत्येक वार्ड (या उसके भाग) की अनुपूरक सूची के अंत में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर लगाकर अभिप्रमाणित किया जाए।

यदि किसी वार्ड (या उसके किसी भाग) की मतदाता सूची में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन न भी किया गया हो तब भी उसके अंत में एक निरंक प्रविष्टि वाली अनुपूरक सूची जोड़ी जाए और उसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाए अर्थात् उसमें पृष्ठ क्रमांक दर्ज करते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए।

11.4 **मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन**–

(i) उस तारीख को जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई सूची का प्रकाशन आवश्यक है। इस हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय से नोटिस बोर्ड पर, **परिशिष्ट–सोलह** में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाए और उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाए। उक्त कार्यवाही के साथ–साथ, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के प्रत्येक "सेट" (Set) के **मुख्य पृष्ठ (परिशिष्ट–छः)** के अंत में अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर के अंतर्गत निम्नानुसार एक प्रमाण–पत्र अभिलिखित किया जाएः–

"प्रमाणित किया जाता है कि नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.............................के लिये तारीख 01 जनवरी.................. के संदर्भ में तैयार की गई मतदाता सूची की यह अंतिम प्रकाशन सूची है।

मोहर

तारीख.. ....

स्थान.. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(ii) अनुपूरक सूचियाँ उपलब्ध मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वार प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की नगर स्थित इकाई को और यदि नगर में ऐसी इकाई न हो तो जिला स्थित इकाई को, लिखित में इस आशय की सूचना भेजी जाए कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदाता सूची की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(iii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के तीन सेट्स जिला निर्वाचन अधिकारी को (भावी उपयोग और संदर्भ हेतु) भेज दिये जाएं और शेष सेट्स निर्वाचन के समय स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जाएं।

(iv) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् ऐसी लिपिकीय, तकनीकी एवं मुद्रण संबंधी त्रुटि जो सहज दृश्यमान हो, नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय के पूर्व तक ठीक की जा सकती है। इस स्थिति के सिवाय निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तक, मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

*****

अध्याय–12

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

12.1 मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 6(5) के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके आदेश के पांच दिन के अंदर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है। ऐसी अपील **प्ररूप ER-4** में दिये गये प्ररूप में, विवादित आदेश की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। इस प्ररूप की प्रतियां, रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के कार्यालय में पहिले से ही, पर्याप्त संख्या में चक्रमुद्रित या मुद्रित कराके रखी जाएं और अपील करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, मांग करने पर, एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदाय की जाए।

12.2 अपील प्रस्तुत होते ही अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई के लिये तारीख निर्धारित की जाए और तत्काल संबंधित रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मूल अभिलेख तलब किया जाए। **संबंधित अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह संगत अभिलेख उसी दिन, अपील प्राधिकारी के पास पहुंचाए।** अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि अपील प्राधिकारी ठीक समझे, वह अपील में समुचित आदेश पारित करेगा।

12.3 अपील प्राधिकारी का यह प्रयास होना चाहिए कि निर्वाचन के लिये नामनिर्देशन–पत्र दाखिल किये जाने का कार्य प्रारंभ होने के पहले ही उसके पास विचाराधीन सभी अपील–प्रकरणों का निराकरण हो जाए।

अपील प्राधिकारी के आदेश पर मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाहीः

12.4 यदि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील मान्य कर ली गई तो वह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को **परिशिष्ट–अठारह** में निर्देश देगा। अपील प्राधिकारी का आदेश प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम प्रकरण रजिस्टर के अन्त में, अपने हाथ से आवश्यक प्रविष्टि की जाए और उसके नीचे, अपील प्रकरण का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए। तत्पश्चात्, सुसंगत अनुपूरक सूची के अन्त में आवश्यक प्रविष्टि की जाए और उसे अभिप्रमाणित करते हुए उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए।

अपील प्राधिकारी के केवल ऐसे आदेश के अंतर्गत मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किया जाए, जो निर्वाचन नियम–21 के अंतर्गत जारी की गई सूचना में नामनिर्देशन के लिए नियत अंतिम तारीख तथा समय के पूर्व प्राप्त हो जाए। उसके बाद प्राप्त किसी आदेश पर, तब तक मतदाता सूची में संशोधन न किया जाए जब तक कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए अर्थात् निर्वाचन का परिणाम घोषित न हो जाए।

*****

अध्याय–13

विविध

13.1 मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कागज–पत्रों की अभिरक्षा :–

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावे और आपत्तियां और उन पर रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील अधिकारी के आदेश, स्वप्रेरणा से प्रारंभिक मतदाता सूची में किये गये संशोधनों से संबंधित कागज–पत्र तथा 'प्रकरण रजिस्टर' आदि कागज–पत्र मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के तुरन्त बाद ठीक से व्यवस्थित करके जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेखागार में संरक्षित रखे जाने के लिये भेज दिये जाएं। ऐसे कागज–पत्र तब तक संरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि मतदाता सूची में आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

13.2 अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण तथा उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति जारी करना:–

(i) कोई भी व्यक्ति दो रूपए की फीस का नगद भुगतान करके, जिसके लिये उसे रसीद दी जाएगी, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार के निरीक्षण की सुविधा प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयीन कक्ष में और जिला स्तर पर उप–जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में उपलब्ध कराई जाए।

(ii) कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची के किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार है। प्रमाणित प्रति उतनी ही फीस का नगद भुगतान करने पर तथा उसी प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रदाय की जाए, जो कि राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के प्रदाय के लिये निर्धारित है।

13.2 मतदाता सूचियों की बिक्री :–

बिक्री के प्रयोजन के लिये वार्ड की पूरी मतदाता सूची को एक " **इकाई** " माना जाएगा और उसे छोटे भागों (अर्थात् मोहल्लेवार या भाग क्रमांकवार टुकड़ों) में नहीं बेचा जाए, विक्रय, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत, तत्समय प्रभावशील दर पर किया जाए और विक्रय से प्राप्त राशि (कोषालय में) निम्नांकित मद में जमा की जाए :–

मद क्रमांक 0070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं– 02– चुनाव –800– अन्य प्राप्तियां– राज्य चुनाव आयोग की प्राप्तियां।

*****

मतदाता सूची (निर्वाचन नामावली) में नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में मतदाताओं की अर्हता/निरर्हता संबंधी कानूनी प्रावधान तथा ''मामूली तौर पर निवासी'' का अर्थ

(क) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत :

धारा 12. **मतदाताओं की अर्हता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना** – धारा 13 तथा 14 के उपबंधों के रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो–

(ए) उस वर्ष की, जिसमें किसी वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,

(बी) किसी वार्ड में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (क्रमांक 43 सन् 1950) की धारा 20, जो इस उपांतरण के अध्यधीन रहेगी कि उसमें '' निर्वाचन–क्षेत्र'' के प्रति किया गया निर्देश ''वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र'' के प्रति किया गया निर्देश हैं, के अर्थ के अंतर्गत मामूली तौर से निवासी है, और

(सी) उस विधान सभा निर्वाचक नामावली में, जिसका कि उस वार्ड से संबंध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किया जाने के लिये अन्यथा अर्हित हैं,

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किए जाने का हकदार होगा :

परन्तुः–

(एक) कोई भी व्यक्ति उसी नगर में के एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा।

धारा 13. **मतदाताओं के लिये निरर्हता** –(1) कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने के लिये निरर्हित होगा यदि वह–

(ए) भारत का नागरिक नहीं है, या

(बी) विकृतचित का है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या

(सी) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष–सिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या

ऐसी कम कालावधि, जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या

(डी) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधो के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है।

(1—ए) किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जो कि नाम दर्ज कर लिया जाने के पश्चात् इस प्रकार निरर्हित हो जाता है, नाम उस निर्वाचक नामावली में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगाः

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन की निरर्हता के कारण निर्वाचक नामावली में से काटा गया है, उस नामावली में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो कि ऐसा हटाया जाना प्राधिकृत करती है।

(2) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि निगम की निर्वाचक नामावली में कोई भी प्रविष्टि—

(क) किन्हीं विशिष्टियों में गलत या त्रुटिपूर्ण है,

(ख) नामावली में अन्यत्र रखी जानी चाहिए, या

(ग) इस आधार पर लोप कर दी जानी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वह वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है,

तो वह प्रविष्टि को संशोधित करेगा, अन्यत्र रखेगा या उसका लोप करेगा :

परन्तु इस आधार पर कि संबंधित व्यक्ति वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है, या यह कि वह उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, कोई कार्यवाही करने से पूर्व यथास्थिति राज्य निर्वाचन आयोग या प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की बावत् सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरणः—अभिव्यक्ति " **मामूली तौर से निवासी** " का वही अर्थ होगा जो उसके लिए धारा 12 के खण्ड (ख) में दिया गया है।

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत :

धारा 30 मतदाताओं की अर्हता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना– धारा 31 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो–

(ए) उस वर्ष की जिसमें किसी वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है।

(बी) किसी वार्ड में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (क्रमांक 43 सन् 1950) की धारा 20 जो इस उपान्तरण के अध्यधीन रहेगी कि उसमें **''निर्वाचन क्षेत्र''** के प्रति किया गया निर्देश **''वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र''** के प्रति किया गया निर्देश है, के अर्थ के अन्तर्गत मामूली तौर से निवासी है, और

(सी) उस विधान सभा निर्वाचक नामावली में, जिसका उस वार्ड से संबंध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किए जाने के लिए अन्यथा अर्हित है;

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार होगा :

परन्तु–

(एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा;

(दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा।

31. मतदाताओं की निरर्हताः–(1) कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने के लिए निरर्हित होगा यदि वह–

(ए) भारत का नागरिक नहीं है; या

(बी) विकृत चित्त का है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(सी) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष–सिद्धी के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि, जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या

(डी) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है.

(1–ए) किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जो कि नाम दर्ज कर लिया जाने के पश्चात् इस प्रकार निरर्हित हो जाता है, नाम उस निर्वाचक नामावली, में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा :

परन्तु किसी का नाम, जो कि उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन की निरर्हता के कारण निर्वाचक नामावली में से काटा गया है। उस नामावली में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो कि ऐसा हटाया जाना प्राधिकृत करती है।

(2) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसकों किए, गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में की कोई प्रविष्टि–

(क) किन्ही विशिष्टियों में गलत या त्रुटिपूर्ण है या

(ख) नामावली में अन्यत्र रखी जानी चाहिए, या

(ग) इस आधार पर लोप कर दी जानी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई या वह वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस नामावली में नाम दर्ज किए जाने का अन्यथा हकदार नहीं है,

तो वह प्रविष्टि को संशोधित करेगा, अन्यत्र रखेगा या उसका लोप करेगा :

परन्तु इस आधार पर कि सम्बधिन्त व्यक्ति उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या यह कि वह उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व यथास्थिति राज्य निर्वाचन आयोग या प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के बावत् सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण– अभिव्यक्ति ''**मामूली तौर से निवासी** '' का वही अर्थ होगा जो कि उसके लिए धारा 30 के खण्ड (बी) में दिया गया है।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अंतर्गत ''**मामूली तौर से निवासी**'' का अर्थः–

20. ''मामूली तौर से निवासी'' का अर्थ— (1) किसी व्यक्ति की बावत् केवल इस कारण कि वह निर्वाचन क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन –क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(1–क) अपने मामूली निवास–स्थान में अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बावत् केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(1–ख) संसद् का या किसी राज्य के विधान–मण्डल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बावत् इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन–क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन– क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्प से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन– क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबंध लागू है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन –क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण न किए होता तो वह, उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, निहित प्ररूप में किए गये और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बावत् कि यदि मेरी सेवा अर्हता न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण न किए होता, जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक

विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।

(8) उपधाराओं (3) और (5) में ''सेवा अर्हता'' से–

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46)के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है।

*****

मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित, ''मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994'' का उद्धरण

अध्याय–2—**मतदाता सूची**

3. मतदाता सूची का तैयार किया जाना और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति–

(1) निर्वाचन आयोग प्रत्येक नगरपालिका के लिये अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए वार्डवार प्ररूप 1 में मतदाताओं की सूची देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में तैयार करवाएगा।

(2) निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक नगरपालिका के लिये एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की और नगरपालिका के मतदाताओं की सूची बनाने में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता करने के लिये, जैसा आवश्यक समझा जाए, एक या एक से अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

(3) प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने हेतु सक्षम होगा।

4. दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये मतदाता सूची का प्रकाशन–

(1) जैसे ही मतदाता सूची तैयार हो जाए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूची में नाम सम्मिलित करने तथा उसमें की किसी प्रविष्टि की बावत् आपत्ति के लिये ऐसे प्ररूप में, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए, सूचना प्रदर्शित करके दावे आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना (नोटिस) देगा तथा सूची की प्रति तैयार करके–

(क) अपने कार्यालय पर, यदि वह नगरपालिका के भीतर है;

(ख) नगरपालिका के कार्यालय पर और

(ग) वार्ड में या उसके पास के किसी ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कि उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाएगा।

(2) सूचना में वह कालावधि, जिसके दौरान तथा वह अधिकारी जिसके पास आपत्तियां या दावे, यदि कोई आई हो, दाखिल किए जा सकेंगे तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसी आपत्ति तथा यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मतदाता सूची कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन की तारीख की कालावधि से कम से कम सात दिन के लिए जनता द्वारा निरीक्षण के लिए निःशुल्क खुली रहेगी।

(4) मतदाता सूची की प्रति, किसी भी व्यक्ति को, ऐसी फीस का भुगतान करने पर जैसी कि निर्वाचन आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, प्रदाय की जाएगी।

5. दावे तथा आपत्तियां–

(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों सहित प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्ट हो और जिसे स्वयं अपने नाम या किसी अन्य व्यक्ति का नाम उस सूची में सम्मिलित कर लिये जाने पर आपत्ति हो, नियम 4 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अन्तिम दिन अधिक से अधिक 3 बजे अपरान्ह तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा ओर उसके पश्चात् प्राप्त होने वाला कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नहीं ही जाएगी।

(2) प्रत्येक दावा या आपत्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा विहित प्ररूप में की जाएगी और या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) कोई दावा या आपत्ति, किन्हीं ऐसी दस्तावेजों सहित होंगे, जिन पर दावेदार या आपत्तिकर्ता निर्भर करता है।

6. दावों तथा आपत्तियों का निपटारा–

(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दावों या आपत्तियों के संबंध में ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, अपना विनिश्चय लेखबद्ध करेगा और ऐसे विनिश्चय की एक प्रति मांग की जाने पर दावेदार या आपत्तिकर्ता को निःशुल्क तुरन्त उपलब्ध करायेगा।

(2) इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची संशोधित करेगा।

(4) इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अपील में यदि कोई हो, विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम होगी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित उसकी एक प्रति उसके कार्यालय में रखी जाएगी और उसकी एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो, ऐसे विनिश्चय के पांच दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए और अपील प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, समुचित आदेश शीघ्र पारित करेगा और अपील के सफल होने की दशा में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश देगा कि वह मतदाता सूची को उसके विनिश्चय को प्रभावी करते हुए संशोधित करे. अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची में कोई संशोधन नियम 21 के अधीन जारी की गई सूचना में नाम–निर्देशन के लिये नियत अन्तिम तारीख तथा समय के पश्चात् तथा निर्वाचन पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायेगा।

7. **प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण तथा जारी किया जाना–** जनता के प्रत्येक सदस्य को दो रूपये फीस का नगद भुगतान करने पर नियम 6 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और किसी आवेदक को उसकी प्रमाणित प्रतियां, उतनी फीस का नगद भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी, जितनी राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के लिये विहित की गई है।

8. **मतदाता सूची की अस्तित्वावधि और उसका पुनरीक्षण–**

(1) नियम 6 के उप नियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उपनियम (2) या उप नियम (3) के अनुसार उसका पुनरीक्षण नहीं कर दिया जाए।

(2) ऐसी प्रत्येक सूची, उस वर्ष की, जिसमें उसका इस प्रकार पुनरीक्षण किया गया है, जनवरी के प्रथम दिवस के प्रति निर्देश से–

(एक) नगरपालिकाओं के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व या यथास्थिति,

(दो) किसी नगरपालिका में स्थान भरने के लिए प्रत्येक उप–निर्वाचन के पूर्व सतत् पुनरीक्षण के दायित्वाधीन होगी।

(3) उप नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी उप–निर्वाचन के पूर्व ऐसी सूची का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं होगा यदि ऐसा उप–निर्वाचन उस कलेन्डर वर्ष के दौरान होता है, जिसकी जनवरी के प्रथम दिन को सूची मूलतः तैयार की गई है :

परन्तु निर्वाचन आयोग, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा पर्याप्त समझे जाएं, उप–निर्वाचन करवाए जाने के पूर्व ऐसी सूची के पुनरीक्षण का निर्देश दे सकेगा।

(4) पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 6 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची की विधिमान्यता या उसका निरन्तर प्रवर्तन में रहना, उपनियम (2) के अधीन ऐसी सूची का पुनरीक्षण नहीं होने से या उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार निर्देश दिये जाने से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा।

9. मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना– नियम 9–क के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नियम 6 के अधीन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् उसकी किसी प्रविष्टि में कोई सुधार या किसी नाम का समावेश या अपवर्जन नहीं किया जाएगा :

परन्तु किसी मतदाता से संबंधित अभिलेख पर दृश्यमान लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 21 के अधीन नामनिर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख और समय के पूर्व किसी भी समय ठीक की जा सकेगी।

9–क. **कतिपय मामलों में मतदाता सूची में प्रविष्टियों का विलोप किया जाना–**

(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए कि नियम 6 के अधीन नगरपालिका की मतदाता सूची के अंतिम रूप दिये जाने के बाद उसमें से संबंधित व्यक्ति के नाम का इस आधार पर विलोप किया जाना चाहिए कि वह संबंधित नगरपालिका के एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है या किसी अन्य नगरपालिका या किसी पंचायत की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस संबंध में आयोग द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष निर्देशों, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी प्रविष्टि का विलोप करेगा :

परन्तु इस संबंध में कोई कार्रवाई करने के पूर्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोपन संबंधित नगरपालिका के किसी वार्ड से निर्वाचन के लिये नियम 21 के अधीन जारी सूचना में नामनिर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख के बाद और निर्वाचन पूरा होने के पहले नहीं किया जायेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप–नियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोप करने के अपने विनिश्चय के कारणों को अभिलिखित करेगा और संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर, ऐसे विनिश्चय की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकेगा।

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

10. कागज–पत्रों की अभिरक्षा और उनका नष्ट किया जाना–नियम 4 के अधीन प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची तथा नियम 5 के अधीन प्राप्त दावे और आपत्तियां, उन पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेशों सहित तथा नियम 9–क के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित कागज–पत्रों तब तक जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेखागार में संरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि मतदाता सूचियों का आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

*****

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी

[नियम 3(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त]

क्र.	नगरपालिका का विवरण	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का पदनाम	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का पदनाम	अपील प्राधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**नगरपालिक निगम :**			
(i)	जिला मुख्यालय का नगरपालिक निगम.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/उप बंदोबस्त अधिकारी/अधीक्षक, भू- अभिलेख/तहसीलदार/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
(ii)	जिला मुख्यालय के बाहर का नगरपालिक निगम.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/उप बंदोबस्त अधिकारी/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
2.	**नगरपालिका परिषद् :**			
(i)	जिला मुख्यालय की नगरपालिका, परिषद्.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/उप बंदोबस्त अधिकारी/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/अधीक्षक, भू–अभिलेख/तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
(ii)	जिला मुख्यालय के बाहर की नगरपालिका परिषद्.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या डिप्टी कलेक्टर.	उप बंदोबस्त अधिकारी/तहसीलदार/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
3.	**नगर परिषद् :**			
(i)	जिला मुख्यालय की नगर परिषद्.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	डिप्टी कलेक्टर/उपबंदोबस्त अधिकारी/तहसीलदार/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
(ii)	राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय की नगर परिषद्.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	अपर तहसीलदार/सहायक बंदोबस्त अधिकारी/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/विकासखण्ड अधिकारी.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(iii)	राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर परिषद्.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	सहायक बंदोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/विकासखण्ड अधिकारी.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

परिशिष्ट—चार

प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) ....

स्थान ....

क्रमांक . . . .

दिनांक . . . .

आदेश

विषय.—नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार करने के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिये प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में नियुक्ति।

निम्नांकित कर्मचारियों को नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् . . . . की मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिये नामनिर्दिष्ट और प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्राधिकृत कर्मचारी उक्त नगरपालिका की प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने, दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित फार्म (प्ररूप) उपलब्ध कराने तथा फार्म भरने में मार्गदर्शन देने और प्रस्तुत दावों तथा आपत्तियों को प्राप्त कर उन्हें आवश्यक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के साथ संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे :—

क्रमांक	प्राधिकृत कर्मचारी का विवरण		क्षेत्र का विवरण		अधिकारी का नाम
	नाम	पदनाम एवं कार्यालय	वार्ड क्रमांक	कार्यालय/ स्थान जहां बैठकर सौंपा गया कार्य करेंगे	तथा पदनाम जिसके साथ सम्बद्ध रहेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मोहर

. . . .

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका)

वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी.

प्रतिलिपि :

(1) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... को सूचनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ....

(3) संबंधित कर्मचारी, द्वारा .... (संबंधित कार्यालय प्रमुख) .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। वे कृपया दिनांक .... को प्रात:/अपराह्न .... बजे स्थान . ... पर उपस्थित हों, जहां उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उनके कर्तव्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी तथा आवश्यक निर्देश पुस्तिकाएं एवं फार्म आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि—

(i) मतदाता सूची का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये जिस स्थान/कार्यालय में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वहां उन्हें प्रत्येक कार्यकारी दिन प्रात: 10.00 बजे से लेकर अपराह्न 5.00 बजे तक निरन्तर उपस्थित रहना है। इसमें कोताही एक गंभीर कदाचरण माना जाएगा, जिसके लिये उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(ii) प्रकाशित सूची, फार्म्स और अन्य कागज-पत्रों को वे संभालकर रखें. उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिये वे स्वयं पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।

(iii) वे अपेक्षित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और वांछित सभी जानकारियां समय पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करें।

(4) .... (संबंधित कार्यालय प्रमुख) को सूचनार्थ अग्रेषित. वे कृपया उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक .... से दिनांक .... तक पूरी तरह कार्यालयीन ड्यूटी से मुक्त रखें. इस अवधि के पूर्व भी उसे, प्रशिक्षण आदि के लिये जब बुलाया जाए, बराबर उपस्थित होने के लिए ताकीद करें।

....

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका)

वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी.

परिशिष्ट–पांच

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) …………

स्थान ………………

क्रमांक . . . .

दिनांक . . . .

आदेश

विषय.—नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार करने के लिये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति।

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् ……………… की मतदाता सूची तैयार करने से सम्बन्धित कार्य के लिये निम्नांकित अधिकारियों को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम तथा (राजस्व विभाग में धारित) पदनाम (2)

उपर्युक्त अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री ………………………… पदनाम ……………… के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तथा उनकी अधिकारिता का क्षेत्र उन वार्डों तक सीमित होगा जो उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सौंपा जाए।

मोहर

. . . .
हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

प्रतिलिपि :

(1) ………… (राजस्व विभाग में धारित पदनाम) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् ………… को अग्रेषित।

(2) संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं ………… (राजस्व विभाग में धारित पदनाम) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

इस दायित्व के निर्वाह हेतु उन्हें निर्देश पुस्तिका, फार्म्स एवं अन्य सामग्री, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

. . . .
हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

परिशिष्ट–छः

मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना

[नियम 4 (1) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्ररूप-अ]

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ....

स्थान ....   तारीख . . . .

सेवा में,

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... जिला .... के मतदातागण

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... की वार्डवार मतदाता सूची तैयार है और आम लोगों के निशुल्क: निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।

2. मतदाता सूची 1 जनवरी . . . . के आधार पर तैयार की गई है।

3. कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हकारी तारीख के संदर्भ में, मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिये दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस संबंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्ररूप (फार्म) में आज तारीख . . . . से कार्यालय समय के दौरान कभी भी, परन्तु तारीख . . . . . . को, जो कि दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की आखरी तारीख है, अपराह्न 3 बजे तक नीचे वर्णित कार्यालयों/स्थानों में प्रस्तुत कर सकता है. विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत किये गये दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(मोहर)

. . . .

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

कार्यालयों की सूची

(1) कार्यालय, जहां सभी वार्डों की मतदाता सूचियाँ निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और जहां किसी भी वार्ड के सम्बन्ध में दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं :—

(i) कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एवं . . . . . .(राजस्व विभाग में धारित पदनाम) स्थान . . . . .

(ii) कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं . . . .(राजस्व विभाग में धारित पदनाम)

(iii) कार्यालय, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् . . . .

(2) कार्यालय जहां केवल किसी वार्ड विशेष की मतदाता सूची उपलब्ध है और जहां उसके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं :—

क्रमांक	कार्यालय का नाम और स्थान	वार्ड का क्रमांक
1.		
2.		
.		
.		

परिशिष्ट–सात

ER-1
परिवर्धन

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

नगरपालिका निर्वाचन

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा–आवेदन

(नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप–ER-1")

नगर पालिका का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
उक्त नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम										
उपनाम										
लिंग	पुरूष	महिला	अन्य							
पिता/पति का नाम										
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष			मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y		
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक									
मोबाईल नम्बर										
आधार नम्बर										

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण

(जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला	
नगरपालिका	
वार्ड क्रमांक	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

जिला	
जनपदपंचायत	
ग्राम पंचायत	
वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :–

i. मैं, भारत का/की नागरिक हूँ,
ii. मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूँ,
iii. मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
iv. **उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.**

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान : ....
तारीख : ....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

ER-1
परिवर्धन

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई. तारीख :	

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख .... को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच–पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

....

....

....

....

....

तारीख ....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम ....)
वार्ड क्रमांक ....
नगर पालिका ....
जिला ....

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक .... तारीख ....

श्री / श्रीमती / कुमारी .... का / की

निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :–

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक .... के भाग संख्या .... में सम्मिलित कर लिया गया है.

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :–

....

....

....

....

....

....

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नगरपालिका ....
जिला ....

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :– जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
पहचान :– ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।
पता :– राशनकार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

ER-2
विलोपन

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

नगरपालिका निर्वाचन
मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति–आवेदन

(नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप–ER-2")

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
नगर पालिका का नाम	
नगर पालिका का वार्ड क्रमांक	
वार्ड का नाम	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्त्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

जिला										
नाम										
पिता/पति का नाम										
पता										
वार्ड क्रमांक										
भाग संख्या										
मतदाता क्रमांक										
मोबाईल नम्बर										

आपत्ति का आधार

....

....

....

....

....

....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान : ....
तारीख : ....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

ER-2

विलोपन

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई. तारीख : .... **हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्त्ता)**	

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख .... को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच–पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

....

....

....

....

....

तारीख ....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम ....)
वार्ड क्रमांक ....
नगर पालिका ....
जिला ....

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक ....   तारीख ....

श्री / श्रीमती / कुमारी ....

द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :–

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक .... के भाग संख्या .... में मतदाता क्रमांक .... पर उल्लेखित श्री / श्रीमती / कुमारी .... के नाम को विलोपित कर दिया गया है.

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :–

....

....

....

....

....

....

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नगरपालिका ....
जिला ....

ER-3
संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

नगरपालिका निर्वाचन

मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन–आवेदन

(नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
नगर पालिका का नाम	
वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान : ....
तारीख : ....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

ER-3
संशोधन

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.	

तारीख : ....

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्त्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख .... को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच–पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

....

....

....

....

....

तारीख ....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम ....)
वार्ड क्रमांक ....
नगर पालिका ....
जिला ....

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक .... तारीख ....

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

द्वारा प्ररूप–**ER-3** में प्रस्तुत आपत्ति को :–

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :–

....

....

....

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :–

....

....

....

....

....

....

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नगरपालिका ....

परिशिष्ट–दस

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... जिला ....

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख . . . .

भाग–1—**दावे** (नाम जोड़ने के लिए)

क्रमांक	दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड का विवरण जिसमें नाम जोड़े जाने का दावा किया गया है		जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भाग–2—**आपत्ति**:—(प्रविष्टियों के संशोधन के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग–3—**आपत्ति**:—(नाम विलोपित किये जाने के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है				जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

कार्य स्थान ....

तारीख . . . .

हस्ताक्षर

प्राधिकृत कर्मचारी

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ....

प्रकरण क्रमांक . . . .

स्थान ....
तारीख . . . .

प्रति,

. . . .
. . . .
. . . .

विषय.—नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... की मतदाता सूची से नाम हटाया जाना.

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नगरपालिका की मतदाता सूची से आपका नाम निम्नांकित आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव है :—

. . . .
. . . .
. . . .

(2) एतद्द्वारा आपसे पूछा जाता है कि आप कारण बताएं कि आपके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाए? आपका उत्तर मेरे पास निम्नांकित कंडिका में अंकित तारीख और समय तक पहुंच जाना चाहिए।

(3) यदि आप मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक हों तो, ऐसे साक्ष्य से साथ जो आप अपने अभ्यावेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहें, तारीख . . . . को समय 10.30 बजे प्रात: स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों।

निर्धारित समयोपरान्त प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(मोहर)

हस्ताक्षर . . . .
(नाम ....)

परिशिष्ट—बारह

नगरपालिका निर्वाचन

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ....

क्रमांक . . . .

स्थान ....

तारीख . . . .

विषय.—नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... की मतदाता सूची में नाम शामिल करना।

सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नगरपालिका की मतदाता सूची में, निर्म्नांकित तालिका में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम असावधानीवश छूट गये हैं, जिन्हें सूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसे इन नामों को शामिल किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति हो, वह ऐसा कर सकता है और तारीख . . . . को समय 10.30 बजे प्रातः स्थान .... में स्थित मेरे कार्यालय में आवश्यक साक्ष्य के साथ, सुनवाई के लिये उपस्थित हो सकता है. निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

मोहर

हस्ताक्षर . . . .

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

तालिका

क्रम संख्या	मतदाता का नाम और पिता/पति का नाम	वार्ड का विवरण		
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	गृह क्रमांक

परिशिष्ट–तेरह

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u>

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... जिला ....

दावे और आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर

दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख	प्रकरण की शीर्ष और क्रमांक*		परिवर्धन/संशोधन/विलोपन से संबंधित व्यक्ति का विवरण				प्रकरण में पारित आदेश का सार		रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
	शीर्ष	क्रमांक	नाम और पिता/पति का नाम	मतदाता सूची से			तारीख	दावा/आपत्ति स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत?	
				वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	सरल क्रमांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

***टीप.**—(1) दावा/आपत्ति के **प्ररूप** (फार्म) के अनुसार ही, शीर्ष के अंतर्गत "क", "ख" या "ग" लिखा जाए।

(2) प्राधिकृत कर्मचारियों से तारीखवार प्राप्त दावे और आपत्तियों पर तथा स्वप्रेरणा से दर्ज प्रकरणों में (यदि कोई हों) तारीखवार, बढ़ते हुए क्रम में, क्रमांक डाले जाएं और उसी क्रमांक को प्रकरण का "क्रमांक" शीर्ष के अंतर्गत लिखा जाए।

परिशिष्ट–चौदह

(आक्षेपित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना का प्रारूप)

प्रकरण क्रमांक . . . .

स्थान . . . .

तारीख . . . .

प्रति,

(आक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता)

. . . .

. . . .

. . . .

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् . . . . की मतदाता सूची में, वार्ड क्रमांक . . . . (भाग क्रमांक . . . .) के अंतर्गत सरल क्रमांक . . . . . . पर आपका नाम शामिल किए जाने पर/आपसे संबंधित प्रविष्टि के कुछ ब्यौरे पर, निम्नांकित मतदाता ने आपत्ति की है :—

(आपत्तिकर्ता का नाम और पता)

. . . .

. . . .

. . . .

आपत्ति के आधार, संक्षेप में, इस प्रकार हैं :—

. . . .

. . . .

. . . .

2. उपरोक्त आपत्ति पर मेरे द्वारा तारीख . . . . को समय 10.30 प्रातः मेरे कार्यालय में, जो कि स्थान . . . . में स्थित है, सुनवाई की जाएगी।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के साथ जो आप प्रस्तुत करना चाहें, उक्त सुनवाई के समय उपस्थित हों।

मोहर

हस्ताक्षर . . . .

(नाम . . . .)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील .... (आक्षेपित व्यक्ति का नाम) .... पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर सूचना चस्पा करके आज तारीख .... को कर दी है।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

(तामील करने वाला कर्मचारी)

नोट.—यदि सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए।

प्रकरण क्रमांक ....

सूचना की तामील रसीद

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख ....

हस्ताक्षर या अंगूठा निशान ....

(पूरा नाम ....)

(आक्षेपित व्यक्ति)

परिशिष्ट–पंद्रह

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्..

अनुपूरक मतदाता सूची

वार्ड क्रमांक................................ भाग क्रमांक.........................

(1) परिवर्धन :

क्रमांक	गृह क्रमांक (यदि हो) और मोहल्ला	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	आयु

(2) संशोधन :

मूल सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम	दर्ज प्रविष्टि (जिसे संशोधन किया जाना है)	संशोधन प्रविष्टि

(3) विलोपन :

मूल सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम

परिशिष्ट–सोलह

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न.पा.)..

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... की वार्डवार मतदाता सूचियां, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार, 01 जनवरी................. के संदर्भ में संशोधनों सहित, प्रकाशित कर दी गई हैं और मेरे कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

तारीख...............................	हस्ताक्षर................................
स्थान................................	नाम......................................
	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
	जिला....................................
	नगरपालिका.........................

ER-4
अपील

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

नगरपालिका निर्वाचन

रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

(नियम 8(5) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-4")

दिनांक : ....
स्थान : ....

प्रति,

अपील प्राधिकारी,
मतदाता सूची पुनरीक्षण (नगरीय निकाय)
....
जिला – ....

विषय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नपा – .... के आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के विरूद्ध अपील।

––x––

1. विषयांतर्गत आदेश से व्यथित होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करता/करती हूँ। विवादित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।
2. विषयांतर्गत प्रकरण में मैने निम्नानुसार आपत्ति/दावा पेश किया था :–

....
....
....
....
....

3. मेरी अपील के आधार निम्नानुसार है :–

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

1 /2 P a g e

<u>अपील</u>

4. मेरा नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है। उसका विवरण निम्नानुसार है (लागू न हो तो काट दें) :–

जिला	
नगर पालिका का नाम	
वार्ड क्रमांक	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

5. निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों एवं तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए विवादित आदेश निरस्त किया जाये, तथा मेरा दावा/आपत्ति स्वीकार की जाये।

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)

पूरा नाम ....

पिता/पति का नाम ....

पता – ....

....

मोबाईल नम्बर – ....

घोषणा

मैं ऊपर वर्णित अपीलार्थी यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस अपील की उपर्युक्त कंडिकाओं में उल्लेखित कथन सत्य है।

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)

पूरा नाम ....

संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण

क्रमांक	**दस्तावेज़ का विवरण**
1.	विवादित आदेश की प्रति।
2.	
3.	
4.	
5.	

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत अपील आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई. तारीख : .... **हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्त्ता)**	

2 /2 P a g e

नगरपालिका निर्वाचन

(अपील प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाने वाली सूचना का प्ररूप)

कार्यालय अपील प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी/अपर कलेक्टर/कलेक्टर), ...

क्रमांक .... स्थान ....

तारीख ....

प्रति,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... जिला ....

विषय.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 6(5) के अंतर्गत अपील में पारित आदेश.

मेरे समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम .... निवासी वार्ड क्रमांक .... नगर द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 6(5) के अंतर्गत सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री .... द्वारा प्रकरण क्रमांक .... में तारीख .... को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई थी।

2. अपील में सुनवाई के पश्चात् मैंने तारीख .... को जो आदेश पारित किया है उसकी प्रति के साथ प्रकरण की मूल नस्ती लौटाई जा रही है।

संलग्न.—(1) प्रकरण की मूल नस्ती तथा

(2) अपील में पारित आदेश
तारीख ...... की प्रति।

....

हस्ताक्षर
अपील प्राधिकारी

मोहर

प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का

प्रमाण—पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 04 के तहत जिले.................................. की नगरपालिका.................................... के लिये दिनांक 01 जनवरी................... के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक.............................. को किया गया है।

दिनांक..................................

स्थान...................................

नाम...

*रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / प्राधिकृत कर्मचारी

जिला..

नगरपालिका..

*वार्ड क्रमांक..

---

* जो लागू न हो उसे काट दे।

परिशिष्ट—बीस

अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का

प्रमाण—पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के तहत जिले.................................. की नगरपालिका................................... के लिये दिनांक 01 जनवरी.................... के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक.............................. को किया गया है।

दिनांक..................................	नाम..
स्थान....................................	*रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / प्राधिकृत कर्मचारी
	जिला...
	नगरपालिका..
	*वार्ड क्रमांक..

---

* जो लागू न हो उसे काट दे।

परिपत्र--1

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58—अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)–462011

क्रमांक-एफ-52-6/2004/तीन/757 भोपाल, दिनांक 23-8-2004

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय.—नगरपालिका निर्वाचन, 2004 मतदाता सूची की तैयारी-नवीन निर्देश।

संदर्भ.—आयोग का ज्ञापन क्रमांक एफ-52-6/2004/तीन/217, दिनांक 19-5-2004 एवं क्रमांक एफ-52-6/2004/तीन/290, दिनांक 3-6-2004।

संदर्भित पत्रों द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के द्वितीय चरण के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में हुई चर्चा के तारतम्य में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:—

(1) प्रत्येक दावे आपत्ति प्राप्ति के केन्द्रों पर एक सूचना फलक लगाया जावे. यह फलक कपड़े के बैनर, ब्लैक बोर्ड या मोटे कार्ड बोर्ड पर सफेद कागज चिपकाकर बना हुआ हो सकता है। यथासंभव 2 फुट चौड़े और 4 फुट लम्बे आकार के इस फलक पर संलग्न प्रारूप के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में उस केन्द्र पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी का नाम, वार्ड के प्रभारी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम, पद एवं फोन क्रमांक लिखा जाए, यह बोर्ड ऐसे सहज दृश्य स्थान पर लगाया जावे जहां वर्षा के कारण लिखावट खराब न हो। सभी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में उपरोक्त दिए गए दूरभाष क्रमांक पर कठिनाइयों के निराकरण के लिए एक उत्तरदायी कर्मचारी को तैनात किया जाये।

(2) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन निराकरण किये गये दावे, आपत्ति प्रकरणों के निर्णय की सूचना संलग्न प्रारूप पर अगले कार्य दिवस पर नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाए।

(3) कई मतदाताओं के पास मतदाता पहचान-पत्र हैं किन्तु उनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं. ऐसे आवेदक यदि दावा फार्म भरकर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं और उन्होंने अपना निवास स्थान नहीं बदला है तो मतदाता पहचान-पत्र को सपुष्ट प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। निवास स्थान बदलने की स्थिति में नए निवास स्थल की मौके पर पुष्टि की जाना आवश्यक होगी।

(4) प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रचार-प्रसार, झुग्गी-झोपड़ी स्लम एरिया जहां कमजोर वर्ग के लोग निवास करते हों, विशेष और व्यापक रूप से किया जाये।

(5) आयोग के निर्देश हैं कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने अथवा विलोपित करने हेतु थोक में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार न किए जायें किन्तु यदि कहीं पूरा मोहल्ला अथवा गृह निर्माण सोसायटी या बहुमंजिले रिहायशी भवनों के पूरे मतदाता छूट गए हों तो प्रत्येक मतदाता द्वारा स्वयं भरे गए आवेदन संबंधित गृह निर्माण समिति, प्रबंध समिति, रेसिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन/मोहल्ला समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कर सम्मिलित रूप से सीधे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

उक्त निर्देशों का पालन कृपया सुनिश्चित किया जावे।

हस्ता./-

(अरूण तिवारी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

फोन नं. 0755-2555527.

सूचना फलक का प्रारूप

नगरपालिका निर्वाचन . . . .

मतदाता सूची का पुनरीक्षण

दावा आपत्ति प्राप्ति का केन्द्र

वार्ड क्रमांक . . . .

प्राधिकृत कर्मचारी . . . .

किसी कठिनाई के निवारण के लिए निम्न से सम्पर्क करें:—

श्री . . . . सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पदनाम . . . . दूरभाष . . . .

प्रकरणों के निराकरण की दैनिक सूचना का प्रारूप

क्रमांक	आवेदक का नाम	वार्ड क्रमांक	आवेदन का प्रकार दावा/आपत्ति/सुधार	आपत्ति से प्रभावित मतदाता का नाम एवं सूची क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	निर्णय

परिपत्र-2

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

''निर्वाचन भवन''

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462011

क्रमांक एफ-52-07-2009-तीन-832 भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2009

प्रति,

राष्ट्रीय एवं
राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त
राजनैतिक दल.
(संलग्न सूची अनुसार)

विषय:---मतदाता सूची एजेन्टों की नियुक्ति के संबंध में।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 के लिये मतदाता सूची तैयार किये जाने का कार्यक्रम दिनांक 7 जुलाई 2009 को जारी किया गया है। नगरीय निकायों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 1-10-2009 को नियत है तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 11-11-2009 को किया जाना निर्धारित है।

2. आयोग मतदाता सूचियों की तैयारी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता चाहता है जिससे मतदाता सूचियों की तैयारी में पारदर्शिता एवं यथार्थता रखने में सुविधा होगी। इस हेतु प्रारूप प्रकाशन पर मतदाता सूची की एक प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिले के अध्यक्ष/प्रभारी को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

3. आयोग का ऐसा अनुभव है कि प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन पश्चात् राजनैतिक दलों द्वारा प्रारूफ मतदाता सूचियों की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दिशा में अपेक्षित सक्रियता समय रहते नहीं दिखाई जाती है। यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रारूप मतदाता सूची की विसंगतियां समय रहते संबंधित अधिकारियों (ERO) के ध्यान में ला दी जाएं तो उन विसंगतियों का निराकरण मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जा सकता है।

4. प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूचियों के संबंध में मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जानकारी प्राप्त कर प्रारूप मतदाता सूचियों को अद्यतन किये जाने की प्रक्रिया में सहभागिता हेतु आयोग द्वारा ''मतदाता सूची एजेन्ट'' नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी नियुक्ति प्राधिकृत कर्मचारियों के संदर्भ में होगी और जो एक वार्ड विशेष की मतदाता सूचियों के संदर्भ में जांच हेतु अधिकृत होगा।

5. आयोग के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संलग्न निर्धारित प्ररूप में ''मतदाता सूची एजेन्ट'' नियुक्त कर सकेंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने अध्यक्ष/सचिव/कार्यकारिणी सदस्य (Office bearer) के माध्यम से एक जिला प्रतिनिधि (district representative) को जिले में मतदाता सूची एजेन्टों की नियुक्ति हेतु अधिकृत कर सकेंगे. अधिकृत किये जाने के संबंध में प्ररूप-1 संलग्न है। जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेन्टों के नियुक्ति पत्र इंक पेन/बॉल पेन से हस्ताक्षरित किए जाएंगे, हस्ताक्षर हेतु रबर स्टाम्प का उपयोग नहीं किया जाएगा।

6. शासकीय सेवक अथवा स्थानीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में कार्यरत कर्मचारी ''मतदाता सूची एजेन्ट'' के रूप में नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे।

7. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अधिकृत जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेन्ट की नियुक्ति संलग्न निर्धारित प्ररूप-2 में की जायेगी. मतदाता सूची एजेन्ट अपना नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

8. ''मतदाता सूची एजेन्ट'' मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियां प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मतदाताओं को निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करेगा।

9. मतदाता सूची एजेन्ट अपने अधिकारिता भाग में मृत एवं अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की सूची प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित संलग्न प्ररूप 3 एवं 4 में प्रस्तुत कर सकेगा। संबंधित एजेंट को उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई सूची उसकी जानकारी के आधार पर सत्य है। उक्त घोषणा के मिथ्या होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

10. मतदाता सूची एजेन्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र में मतदाताओं को मतदाता सूची के प्रारूप के निरीक्षण हेतु प्रेरित करेगा तथा यथास्थिति मतदाता सूची में नाम संशोधन/विलोपन तथा स्थानांतरित किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी प्रकार ''मतदाता सूची एजेन्ट'' मार्गदर्शक के रूप में 18 वर्ष या उससे अधिक के मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करेगा।

11. मतदाता सूची एजेन्ट अपरिहार्य स्थिति जैसे मृत्यु की स्थिति में ही बदला जा सकेगा. उनको बदले जाने की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया अनुसार ही होगी। अगर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नया''मतदाता सूची एजेन्ट'' नियुक्त किया जाता है तो प्रारूप मतदाता सूची की वही प्रति उपयोग में लाई जाएगी. जो पूर्व में मतदाता सूची एजेंट को मान्यता प्राप्त दल द्वारा प्रदान की गई है।

प्रारूप मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित तैयार करने के संबंध में आपका सहयोग अपेक्षित है. इस संदर्भ में पार्टी द्वारा आवश्यक जानकारी तथा निर्देश संबंधित एजेंट को दिये जाना होंगे।

कृपया इस पत्र की अभिस्वीकृति भेजने का कष्ट करें।

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
दूरभाष क्रमांक 0755-2555527

परिपत्र–3

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)–462011

क्रमांक एफ / 52–4 / 2015 / तीन / नया / 745 भोपाल, दिनांक–19 / 10 / 2015

प्रति,

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला समस्त (म0प्र0)

विषयः–जिले में पंजीकृत मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों मे दर्ज होने के बावत्।

—00—

1. नगरीय निकायों एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची फोटोयुक्त तैयार किये जाने हेतु म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 3 एवं म0प्र0 पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 9 में संशोधन किया गया है।

2. जिला स्तर पर नगरीय निकायों एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार किये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में जिले में विधानसभा की निर्वाचक नामावली के (1 / 1 की स्थिति में अद्यतन प्रचलित विधानसभा की निर्वाचक नामावली) आधार पर नगरीय निकायों एवं पंचायतों की प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जाती है।

3. नगरीय निकायों एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों के पांचवे आम निर्वाचन 2014–2015 में आयोग को मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थान पर दर्ज होने की शिकायतें लगातार प्राप्त हुई। आयोग द्वारा उक्त स्थिति में अधिनियमों के प्रावधान के अनुक्रम में यह आदेश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17, के अंतर्गत एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत, किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा।

5. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 12 मतदाताओं की अर्हता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना, "धारा 12" (एक) कोई भी व्यक्ति उसी नगर में एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किये जाने का हकदार नहीं होगा, एवं "धारा 12" (दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिकबार नाम दर्ज किये जाने का हकदार नहीं होगा।

2.....

6. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 30 मतदाताओं की अर्हता तथा उसका नाम दर्ज किया जाना संबंधी प्रावधान में 30 (एक) एवं 30 (दो) में उपरोक्तानुसार प्रावधान किये गये है, कि एक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में एक बार से अधिक दर्ज न हों।

7. म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 5 में ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रावधान दिये गये है इस धारा अनुसार,

   (क) कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा।

   (ख) कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

8. **उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि एक मतदाता एक समय में एक ही निर्वाचक नामावली में एक बार नाम दर्ज करा सकता है। वह एक पंचायत या एक नगरपालिका में से केवल एक में ही मतदाता हो सकता है।**

9. आयोग द्वारा विधानसभा की अद्यतन प्रचलित निर्वाचक नामावली के आधार पर नगरीय निकायों की वार्डवार एवं पंचायतों की ग्राम पंचायतवार प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर प्रकाशित की जाती है। प्रारूप प्रकाशन पर दावे–आपत्तियां प्राप्त कर उनके निराकरण कर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाता है।

10. जिला स्तर पर जिले के नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची में विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं के नाम शिफ्ट किये जाने की कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी जाती है।

11. आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची तैयार किये जाने की कार्यवाही में सूक्ष्मता से यह परीक्षण किया जाये कि किसी भी मतदाता का नाम नगरीय निकाय एवं पंचायतों में एक समय में एक से अधिक निर्वाचक नामावली में दर्ज न हो, अर्थात् कोई भी मतदाता दो स्थानों पर अपना नाम दर्ज न करा सकें। इस हेतु मतदाता सूची तैयार किये जाने हेतु नियुक्त एस.एल.ए. द्वारा जिले की मतदाता सूची में दौहरे नामों की सूची जनरेट कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका को उपलब्ध करायी जायेगी।

12. जिले के नगरीय निकायों एवं पंचायतों में एक साथ दो स्थानों पर नाम दर्ज होने के प्रकरण यदि उजागर हो तो मतदाता को म0प्र0 नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 12, म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 30 एवं म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 5 के प्रावधानों के संदर्भ में विहित प्रक्रिया अनुसार नोटिस जारी कर उनका एक से अन्य स्थान पर दर्ज नाम के विलोपन की कार्यवाही की जाये।

3......

यदि किसी मतदाता का नाम किसी नगरीय निकाय के एक से अधिक वार्डो अथवा एक से अधिक पंचायत अथवा पंचायत के वार्डो में है, तो उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सुनवाई का अवसर देकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी एक स्थान से मतदाता का नाम विलोपित करेगा।

13. यदि मतदाता का नाम पंचायतों की मतदाता सूची एवं नगरीय निकाय की मतदाता सूची, दोनों स्थानों पर सम्मिलित है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) मतदाता सूची से उसका नाम विलोपित करने के लिए नोटिस जारी करेगा, यदि मतदाता पंचायत की मतदाता सूची में अपना नाम रखना चाहेगा तो तदानुसार उसका नाम पंचायत की मतदाता सूची में रखा जाकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), नगरीय निकाय की मतदाता सूची में से अपना नाम विलोपित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरीय निकाय) को सूचित करेगा। तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरीय निकाय) मतदाता का नाम नगरीय निकाय की मतदाता सूची से विलोपित करने की विधि अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि मतदाता नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम बनाये रखने की मंशा जाहिर करेगा तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) उसका नाम पंचायत की मतदाता सूची से विलोपित कर देगा।

14. आयोग द्वारा जारी निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया नोटिस जारी किया जाना, सुनवाई का अवसर देने जैसे नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो का पालन सुनिश्चित किया जाये तथा यह सुनिश्चित हो कि किसी भी अवस्था में कोई भी पात्र व्यक्ति जिले में उसकी मंशानुसार किसी भी एक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित न हो। आयोग के इस आदेश का स्पष्ट उद्देश्य केवल यह है कि किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पर दर्ज न हो। यहां यह उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची के संबंध में कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नही है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

15 उक्त प्रावधान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

(जी0पी0 श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

प्ररुप—1

मतदाता सूची एजेंट नियुक्ति हेतु

(देखें अध्याय-6)

राजनैतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना

..............................दल मध्यप्रदेश

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
स्थानीय निर्वाचन
जिला .... (म. प्र.)

विषयः—नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् मतदाता सूचियों की तैयारी हेतु मतदाता सूची एजेंट की नियुक्ति के संबंध में अधिकृत करने बाबत्।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में मतदाता सूची एजेंट नियुक्त किये जाने हेतु पार्टी निम्नांकित को अधिकृत करती है:—

नामों की सूचना भेजने के लिए प्राधिकृत पदधारी का नाम (1)	दल की जिले इकाई में उसके द्वारा धारित पद का नाम (2)	जिला जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है (3)

2. ऊपर उल्लेखित व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं—

नाम	नमूना हस्ताक्षर
(1) श्री	(1) ....

भवदीय,
अध्यक्ष/सचिव/कार्यकारिणी सदस्य
हस्ताक्षर . . . .
दल का नाम ....

स्थान ....
तारीख . . . .(दल की मोहर)

प्ररूप 2

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के अधिकृत पदाधिकारी की ओर से मतदाता सूची एजेंट नियुक्त किये जाने की जानकारी हेतु प्रपत्र

प्रति,

(1) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
स्थानीय निर्वाचन
जिला ················ (म.प्र.)

विषय:—मतदाता सूची एजेट नियुक्त किये जाने की सूचना के संबंध में।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य में सहभागिता हेतु ·············· को वार्ड क्रमांक . . . . .नगरीय निकाय क्षेत्र ··········· के लिए मतदाता सूची एजेंट नियुक्त करता हूं/करती हूं तथा यह भी लेख करता हूं/करती हूं कि दल की ओर से क्षेत्र की मुद्रित मतदाता सूची की प्रति उन्हें उपलब्ध करा दी गई है।

मतदाता सूची एजेन्ट के लिये नियुक्त व्यक्ति का नाम क्षेत्र की मतदाता सूची क्रमांक . . . . पर दर्ज है।

नाम	नमूना हस्ताक्षर
(1) श्री ················	(1) ····················

भवदीय,

हस्ताक्षर . . . .

जिला प्रतिनिधि, राजनैतिक दल

हस्ताक्षर . . . .

स्थान ············

तारीख . . . .

दल की सील (पदमुद्रा)

प्ररूप–3

मृत मतदाताओं की जानकारी बाबत्

नगरीय निकाय क्षेत्र का नाम ....

मतदाता सूची का भाग क्र. ....

मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि का सरल क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता के निवास का पता	मतदाता परिचय पत्र क्रमांक यदि जारी किया गया	जानकारी का स्रोत	टिप्पणी

मैं यह घोषित करता हूं / करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है। मिथ्या जानकारी दिए जाने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों का भी मुझे ज्ञान है।

(मतदाता सूची एजेंट के हस्ताक्षर)

दिनांक ....

पूरा नाम ....

दल का नाम ....

प्ररूप–4

मतदाताओं के अन्यत्र चले जाने की जानकारी बाबत्

नगरीय निकाय क्षेत्र का नाम ....

मतदाता सूची का भाग क्र. ....

मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि का सरल क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता परिचय पत्र क्रमांक यदि जारी किया गया	अन्यत्र चले जाने (पता जो ज्ञात हो) का उल्लेख	जानकारी का स्त्रोत

मैं यह घोषित करता हूं / करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है। मिथ्या जानकारी दिए जाने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों का भी मुझे ज्ञान है।

(मतदाता सूची एजेंट के हस्ताक्षर)

दिनांक ....

पूरा नाम ....

दल का नाम ....

सेम्पल–1

Control Table Checklist of Urban Bodies

जिले का नाम : हरदा **नगर पालिका परिषद का नाम : हरदा**

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	भाग क्र.	मतदान केन्द्र क्र व नाम	मोहल्ला क्र.	मोहल्ले का नाम	कुल मतदाता
1	जयप्रकाश नारायण वार्ड	1	1 - वनमंडलाधिकारी कार्यालय सामान्य उत्तरी खंड	1	पानी की टंकी क्षैत्र	904
				2	राज मोहल्ला	
		2	2 - नेताजी सुभाषचंद्र बोस माध्यमिक शाला पश्चिमि खंड कक्षा क्रमांक 1	1	गोलापुरा	759
		3				
2	चंद्रशेखर आजाद वार्ड हरदा	1	3 - खेडीपुरा प्राथ. शाला क. न. 01	1	नई आबादी बेलदार चौक	1043
		2	4 - खेडीपुरा प्राथ. शाला क. न. 02	1	मांग मोहल्ला कहारवाडी गौर कालोनी	1053
3	मोहनदास करमचंद गांधी वार्ड हरदा	1	5 - खेडीपुरा प्राथ. शाला नवनिर्मित कक्ष	1	बेलदार मोहल्ला रोड क्षेत्र	761
		2	6 - आंगन बाडी केन्द्र 12 खेडीपुरा	1	गाडरी मंदिर क्षैत्र	574
4	हनुमान वार्ड	1	7 - खेडीपुरा मा. शाला क. न. 01	1	जोशी मोहल्ला एवं खेडापति मंदिर क्षैत्र	1196
5	नरसिह वार्ड हरदा	1	8 - नगरपालिका कार्या. राजस्व हाल उत्तरीय खंड	1	बाजार क्षैत्र	824
6	शहीद भगतसिंह वार्ड	1	9 - नगरपालिका कार्या.राजस्व हाल दक्षिणी खंड	1	जैन मंदिर क्षैत्र	886
7	राधा कृष्णन वार्ड हरदा	1	10 - केन्द्रीय विघालय पूर्वी खंड क्रं . 1	1	शीतला माता मंदिर क्षैत्र एवं गजानंद मंदिर क्षैत्र	753
8	बाबू जगजीवनराम वार्ड हरदा	1	11 - शा. कला एवं महा.विघालय हाल कमरा नं.1	1	खेडीपुरा मजिस्द के पास बेलदार मोहल्ला	701
		2	12 - शा. कला एवं महा.विघालय कमरा नं.2	1	कसेरा मोहल्ला गोलापुरा के पास गोसाई मंदिर	608
9	छत्रपति शिवाजी वार्ड	1	13 - नगरपालिका कार्या. योजना शाखा हाल	1	शिवाजी चौक क्षैत्र	823
10	इंदिरा गांधी वार्ड हरदा	1	14 - केन्द्रीय विघालय पश्चिमी खंड क्रं.2	1	बडा मंदिर क्षैत्र	1000
11	गणेशशंकर विघार्थी वार्ड	1	15 - नगरपालिका पूर्व मा. शाला कमरा नं. 1	1	अन्नापुरा मजिस्द क्षैत्र	733
		2	16 - नगरपालिका पूर्व मा. शाला कमरा नं. 2	1	सत्यनारायण मंदिर क्षैत्र	793
12	व्ही व्ही गिरी वार्ड	1	17 - केन्द्रीय विघालय दक्षिणी खंड कमरा नम्बर 3	1	अली पेथोलाजी एवं तिलक भवन के सामने का क्षैत्र	875
13	राजीव गांधी वार्ड हरदा	1	18 - नगर पालिका सामुदायिक भवन वार्ड क्रमांक 13	1	जत्रापडाव क्षैत्र	913
14	डॉ भीमराव अम्बेडकर वार्ड	1	19 - शास.प्रा. शाला शुक्रवारा कमरा नं. 2	1	मानपुरा स्कूल के सामने	1008
		2	20 - शुक्रवारा प्रा. शाला कमरा नं. 3	1	मानपुरा स्कूल के पीछे रोड के पार नदी किनारे	774
15	आचार्य विनोबाभावे वार्ड हरदा	1	21 - शुक्रवारा प्रा. शाला कमरा नं.1	1	राजमा चौक एंव नूरी मस्जिद क्षैत्र	916
16	सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड हरदा	1	22 - कार्यापालन यंत्री लो.नि.विभाग कार्या. पूर्वी खंड	1	सिविल लाईन	785
		2	23 - कार्यापालन यंत्री लो.नि.विभाग कार्या.पश्चिमी खंड	1	प्रताप टाकीज से मुल्ला जी के नाले तक	1017
		3	24 - कार्यापालन यंत्री लो.न.उत्तरी खंड	1	हरदा इन्दौर मेन रोड	616
17	लाला लाजपतराय वार्ड हरदा	1	25 - अनुविभागीय अधिकारी पचोला उपनहर अनुविभाग कार्यालय जल संसाधन	1	तवा कालोनी व हुडको कालोनी	959
		2	26 - कार्यपालन यंत्री कार्यालय जल संसाधन	1	दूधडेयरी श्यामा नगर	916
		3	27 - जिला पंचायत कार्यालय सभा कक्ष	1	दूध डेयरी शिक्षक कालोनी	862

सेम्पल–2

विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए सूची

शिफ्टिंग सूची

विधानसभा : 135 - हरदा   भाग संख्या : 1   शिफ्टिंग के लिए मार्किंग

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र U R	वार्ड नंबर / पंचायत क्र व नाम	भाग संख्या / वार्ड नंबर	मोहल्ला क्र.
अनुभाग : 1-साल्याखेड़ी , ग्राम-साल्याखेंडी , 461331											
83	5	गोपाल भावरे	पिता भीमसिंह	M	22	WMQ1034875					
84	5	सुनीता	पति राकेश	F	20	WMQ1110337					
166	12	रोशनी	पिता बुद्या	F	23	WMQ1034883					
167	12	सुनील	पिता बुध्दा	M	19	WMQ1051051					
212	16	राजेश	पिता कल्लुसिंह	M	25	WMQ1034867					
323	35	रजनी	पिता रामभरोस	F	20	WMQ1100619					
385	43	ममता	पति राकेश	F	19	WMQ1107556					
435	48	संगीता	पति राजेश	F	32	WMQ1051069					
439	48	संगीता	पति संदिप	F	24	WMQ1051077					
444	49	आनंद	पिता हरि	M	19	WMQ1100627					

सेम्पल–3

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | जिला : हरदा | वार्ड संख्या : 5 , भाग संख्या : 1

विधानसभा में विवरण				नगरीय निकाय में विवरण					
निर्वाचक का नाम ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम लिंग आयु	विलोपन का कारण	फोटो	मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम ईपिक संख्या	लिंग	पिता/पति का नाम आयु	गृह संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (√/X)
शिवप्रसाद BYS0107516	पिता नाथूराम M 82	Expired		125 शिवप्रसाद BYS0107516	M	पिता नाथूराम 81	44		☐
मुर्तुजा खां BYS0109827	पिता बाबू खां M 73	Expired		443 मुर्तुजा खां BYS0109827	M	पिता बाबू खां 72	125/क		☐
माणकचंद BYS0110445	पिता जैनारायण M 81	Expired		577 माणकचंद BYS0110445	M	पिता जैनारायण 80	174		☐

कुल संख्या :	3

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

सेम्पल–4

संशोधन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | **जिला : हरदा** | **वार्ड संख्या : 1 , भाग संख्या : 1**

विधानसभा में विवरण							नगरीय निकाय में विवरण								
निर्वाचक का नाम	ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	गृह संख्या	फोटो	मतदाता क्र.	निर्वाचक का नाम	ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	गृह संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (√/X)
अंगुरी	MP/28/227/042086	पति बद्रीप्रसाद	F	49			84	अंगुरी	MP/28/227/042086	पति बद्रीप्रसाद	F	48	14		☐
विमला	MP/28/227/042087	पति मनोरीलाल	F	56			87	विमला	MP/28/227/042087	पति मनोरीलाल	F	55	16		☐
सावित्री	MP/28/227/042268	पति विजय	F	49			93	सावित्री	MP/28/227/042268	पति विजय	F	48	17		☐
सत्यनारायण	MP/28/227/042137	पिता भीकू	M	56			292	सत्यनारायण	MP/28/227/042137	पिता भीकू	M	55	71		☐
प्रभा	MP/28/227/042338	पति बालाराम	F	51			498	प्रभा	MP/28/227/042338	पति बालाराम	F	50	125		☐
अशोक	BYS4680369	पिता मुख्त्यार	M	51		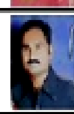	581	अशोक	BYS4680369	पिता मुख्त्यार	M	50	146		☐
चंद्रावती	BYS4680344	पति अशोक	F	46		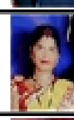	582	चंद्रावती	BYS4680344	पति अशोक	F	45	146	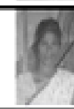	☐
अरविन्द	WMQ0789255	पिता तुलसीराम	M	22		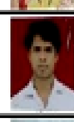	624	अरविन्द	WMQ0789255	पिता तुलसीराम	M	21	150द		☐
जगदीश	BYS4660791	पिता किसन	M	49			733	जगदीश	BYS4660791	पिता किसन	M	48	177		☐
पार्वती	BYS4457354	पति जगदीश	F	44		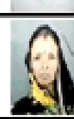	734	पार्वती	BYS4457354	पति जगदीश	F	43	177		☐

कुल संख्या :	10

ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके नाम नगरीय निकाय की अद्यतन मतदाता सूची
में तो शामिल है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

सेम्पल–5

जांच सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | जिला : हरदा | वार्ड संख्या : 1 , भाग संख्या : 1

मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
अनुभाग : 1-पानी की टंकी क्षेत्र							
81	12	राकेश शर्मा	पिता मोहन शर्मा	M	18		
89	15	लखन	पिता सरजा	M	46	MP/28/227/042301	
90	16	मनोरीलाल	पिता सरजा	M	61	MP/28/227/042302	
165	43	सुशील	पिता सुरेश	M	38	BYS4618039	
166	43	मालती	पति सुशील	F	35	BYS4457131	
250	60	बसुबाई	पति रामप्रसाद	F	76	MP/28/227/042037	
294	70	कैलाश	पिता अमरसिंग	M	49	MP/28/227/042246	
295	70	रुकमणि	पति कैलाश	F	42	MP/28/227/042109	
439	105	मनोहरलाल	पिता घासीराम	M	63	MP/28/227/042058	
440	105	इंद्राबाई	पति शंकरलाल	F	61	MP/28/227/042105	
458	111	सरस्वती	पति मुन्नालाल	F	46	MP/28/227/042210	
459	111	राजकुमारी	पिता मुन्ना लाल	F	26	WMQ0304089	
501	125	बालाराम	पिता घासीराम	M	56	MP/28/227/042186	
542	133	भीकू	पिता सोनू	M	56	MP/28/227/042100	
554	136/क	दयाराम	पिता मूलचन्द्र	M	44		

सेम्पल–6(1)

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
एक ही नगरीय निकाय में दो या अधिक स्थानों पर दर्ज है (कुल मतदाता : 40)

नगर पालिका परिषद - हरदा

Date : 18/05/2018

सत्यापन मार्किंग (√)

वार्ड क्र.	भाग क्र.	मतदाता क्र.	गृह संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
22	2	178	136/4	मो इलियास	स्माईल खां	M	44	BYS0220327			
30	2	322	97	मोहइलियास	स्माईलखां	M	44	BYS0220327			
31	2	231	200क	सुनीता	ब्रहमाप्रसाद	F	43	BYS0728998			
32	1	310	200क	सुनीता	ब्रहमाप्रसाद	F	43	BYS0728998			
24	1	146	17	संजू	बृजेश	F	48	BYS4800066			
24	1	164	18क	रविन्द्र कुमार	विजयश्याम	M	26	BYS4800066			
30	2	323	97	नजमुन निशा	इलियास	F	40	WMQ0392381			
22	2	179	136/4	नजमुन निशा	इलियास	F	40	WMQ0392381			
16	3	515	203 क	रामकृष्ण कोगे	सुरेश कुमार	M	24	WMQ0528414			
31	2	236	203 क	रामकृष्ण कोगे	सुरेश कुमार	M	24	WMQ0528414			

सेम्पल–6(2)

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(दो या दो से अधिक नगरीय निकायों में) (कुल मतदाता : 2)

जिला - हरदा

सत्यापन मार्किंग (√)

नगरीय निकाय का नाम	वार्ड क्र.	भाग क्र.	मोहल्ले का नाम	क्रम सख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
न.प. टिमरनी	15	1	खंगारपुरा	738	24	धापूबाई	पति लालसिंह	F	52	MP/28/227/297502		☐	☐
न.प. खिरकिया	1	1	किसान मोहल्ला	2	1	लक्ष्मी	पति धनजी	F	70	MP/28/227/297502		☐	☐

सेम्पल–6(3)

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(नगरीय निकाय एवं पंचायत में) (कुल मतदाता : 14)

जिला - हरदा

विकासखण्ड क्रमांक - 1 (कुल मतदाता : 6)

सत्यापन मार्किंग (√)

नगरीय / पंचायत	नगरीय निकाय / विकासखण्ड का नाम	वार्ड क्र.	भाग क्र.	मोहल्ले का नाम / पंचायत का नाम	क्रम सख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
पंचायत	वि.खं. खिरकिया	4		भगवानपुरा	413	59ख	कृष्णाबाई	पति भगवानदास	F	51	MP/28/227/303034		☐	☐
नगरीय	न.प. खिरकिया	2	1	खेड़ीपुरा रोड	834	121	किरण	पति शांतीलाल	F	48	MP/28/227/303034		☐	☐
पंचायत	वि.खं. खिरकिया	4		भगवानपुरा	410	59ख	भारतलाल	पिता हरीशंकर	M	72	MP/28/227/303193		☐	☐
नगरीय	न.प. खिरकिया	2	1	खेड़ीपुरा रोड	457	60/1	सुनिल	पिता हरिप्रसाद	M	43	MP/28/227/303193		☐	☐
पंचायत	वि.खं. खिरकिया	4		भगवानपुरा	412	59ख	भगवानदास	पिता भारतलाल	M	55	MP/28/227/303228		☐	☐
नगरीय	न.प. खिरकिया	3	1	रामनगर कालोनी	474	156/3	हबीबखां	पिता अमीरखां	M	60	MP/28/227/303228		☐	☐